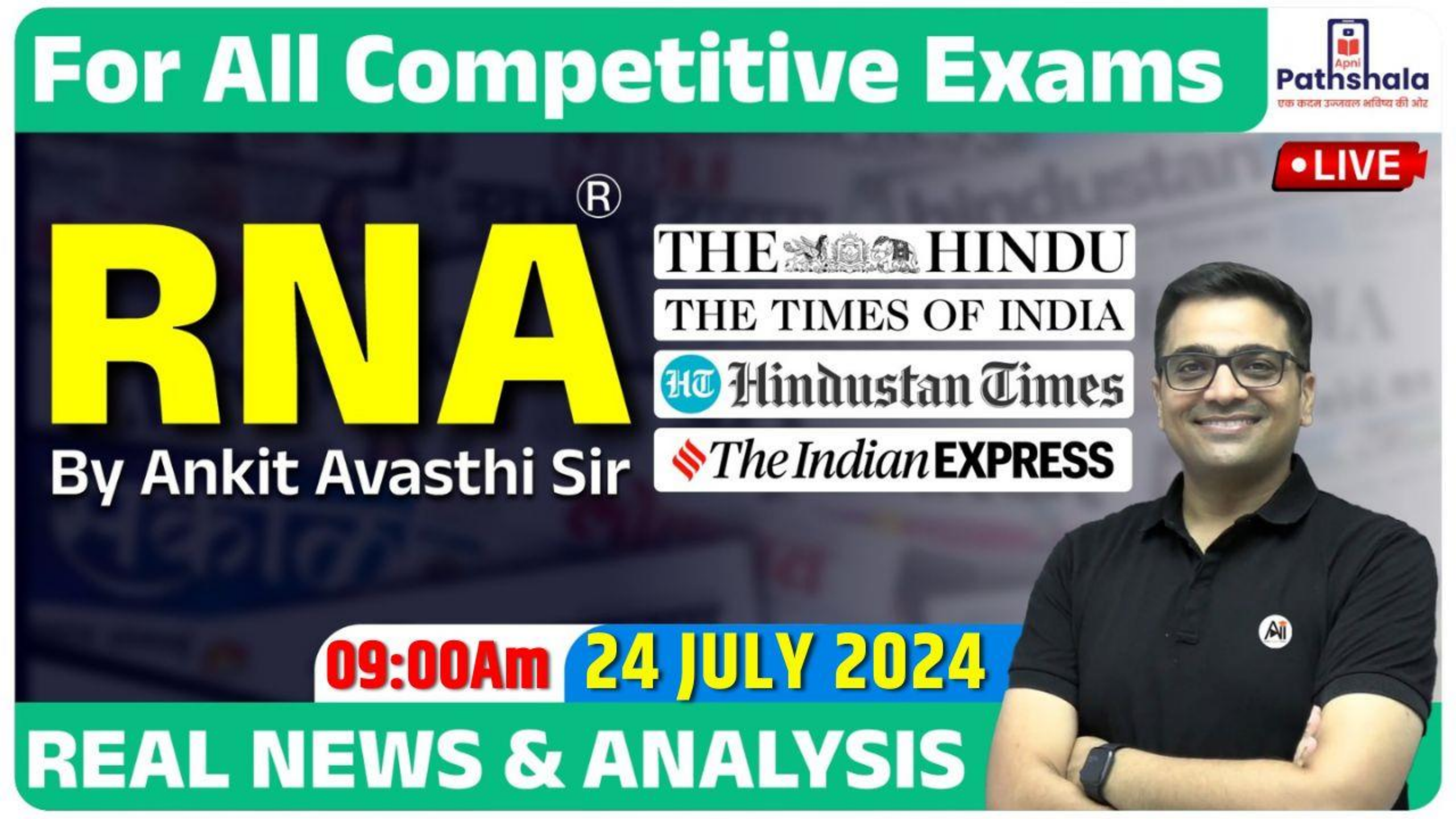
For All Competitive Exams
Apni Pathshala
एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर
•LIVE
RNA®
By Ankit Avasthi Sir
THE HINDU
THE TIMES OF INDIA
HT Hindustan Times
The Indian EXPRESS
09:00Am
24 JULY 2024
REAL NEWS & ANALYSIS

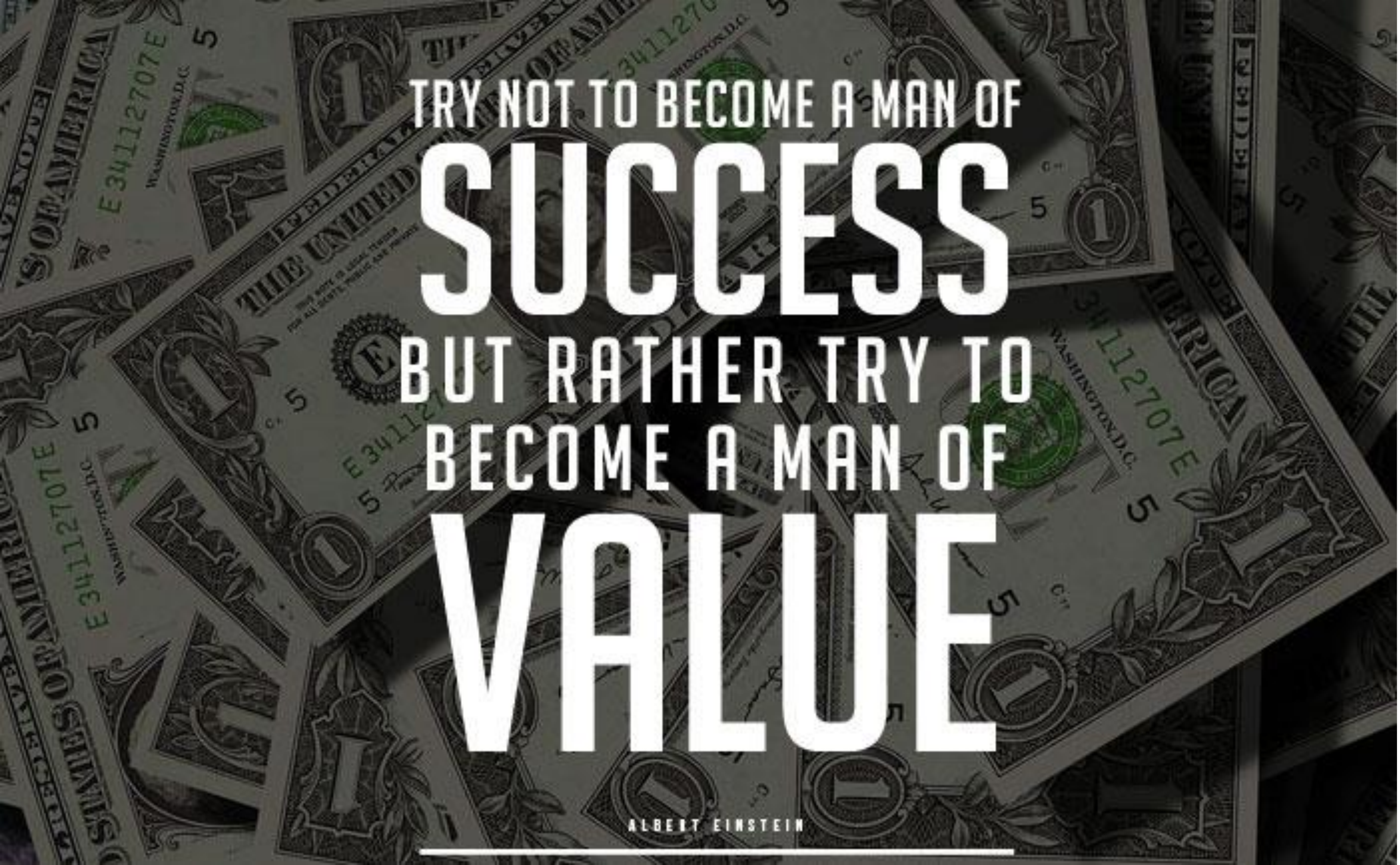
TRY NOT TO BECOME A MAN OF
SUCCESS
BUT RATHER TRY TO
BECOME A MAN OF
VALUE
ALBERT EINSTEIN

1

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और...

368K views • Streamed 4 hours ago

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और NAIDU BY ANKIT AVASTHI SIR

Ankit Inspires India
4.01M subscribers
Join
Subscribed
26K
Share
Download

UNION BUDGET 2024
The Indian EXPRESS
WHAT CHANGES
IN NEW INCOME
TAX REGIME

BSE Sensex
22
JUL 2024
Previous day close:
80,604.65
Change -102.57
88,800
80,100
80,502.08
09:15
16:00

1

Top stories

The Hindu BusinessLine

Budget 2024: Jobs for youth, tax rejigs for salaried class

13 hours ago

The Economic Times

Union Budget: Internship opportunities announced for 1 crore youth in 'top companies' with allowance of Rs

15 hours ago

The Economic Times

Budget 2024: Schemes worth Rs 2 lakh crore for job creation, skilling and internship; move to benefit 41 m

13 hours ago

India's Population Estimated At 1.44 Billion, 24% In 0-14 Age Bracket: UN Report

India leads globally with an estimated population of 144.17 crore, followed by China at 142.5 crore, according to the report.

India News | Press Trust of India | Updated: April 17, 2024 10:23 am IST

TRENDING

"Call Security": Chief Justice Blasts Lawyer, He Quotes Bible In Reply

Budget 2024: Big Push For Jobs, New Tax Regime Benefits, Reward For Allies

"19th Floor Balcony": Shami's Friend Makes Shocking 'Suicide' Revelation

India has the largest youth population in the world, with over 66% of its population (more than 808 million) under the age of 35. This means that India has the largest number of millennials and Gen Zs globally.

India's youth population can have both positive and negative implications:

- **Positive implications**

- **A large youth population can drive innovation and creativity, and bring significant economic benefits. They can also be active citizens who contribute to long-term development.**

- **Negative implications**

- **The pandemic has slowed down job creation, and India will need to create jobs for the 7–8 million people who are expected to enter the job market in the next decade.**
- **In 2021, the government of India's Ministry of Youth Affairs and Sports drafted the National Youth Policy (NYP) 2021 to envision a 10-year vision for youth development by 2030. The policy is aligned with the UN SDGs, mainly encompassing quality education, reduced inequalities, decent work, and economic growth.**

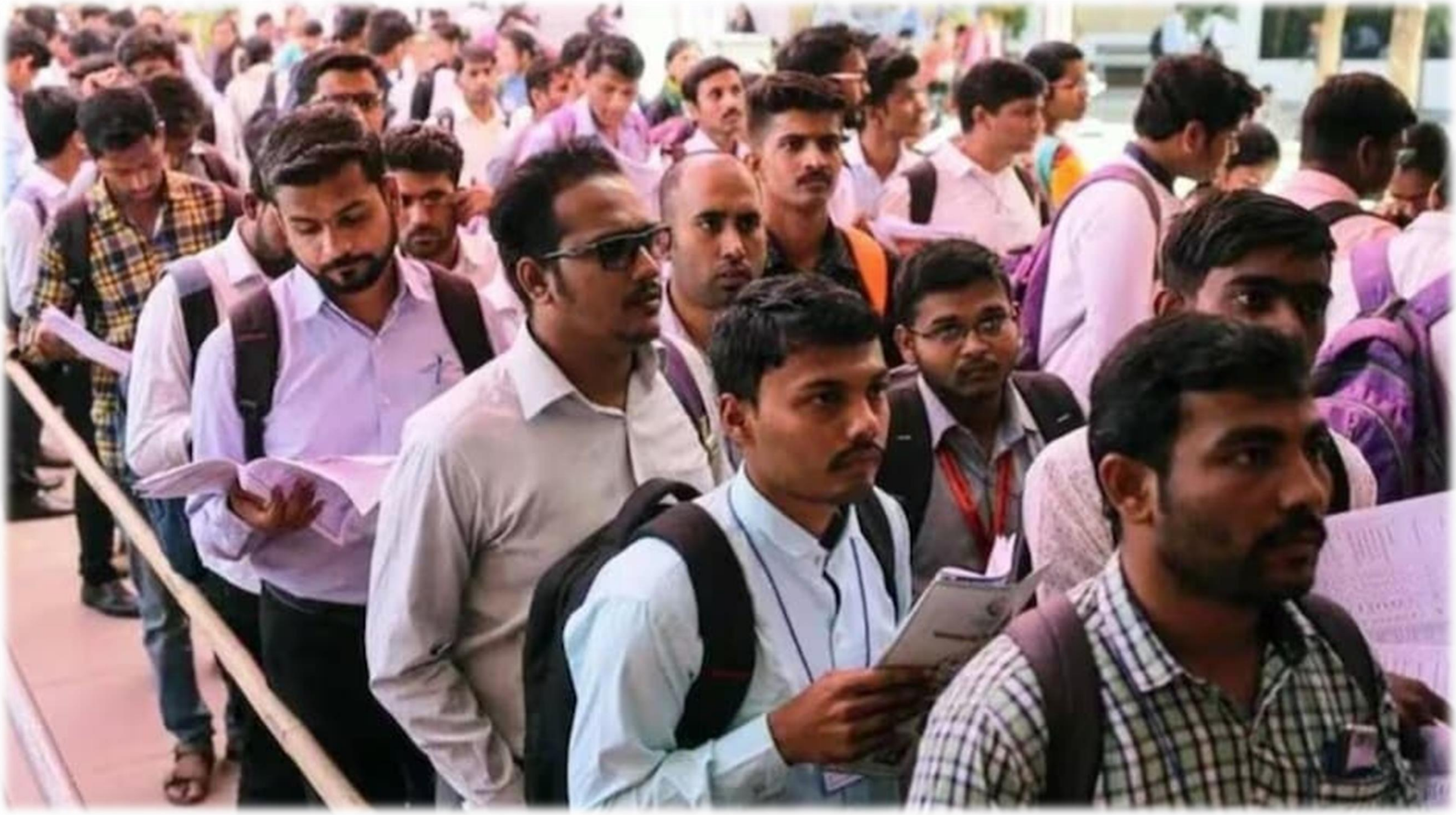

statista
Prices & Access Statistics Reports Insights Research AI NEW Daily Data Services

India: Youth unemployment rate from 1999 to 2023

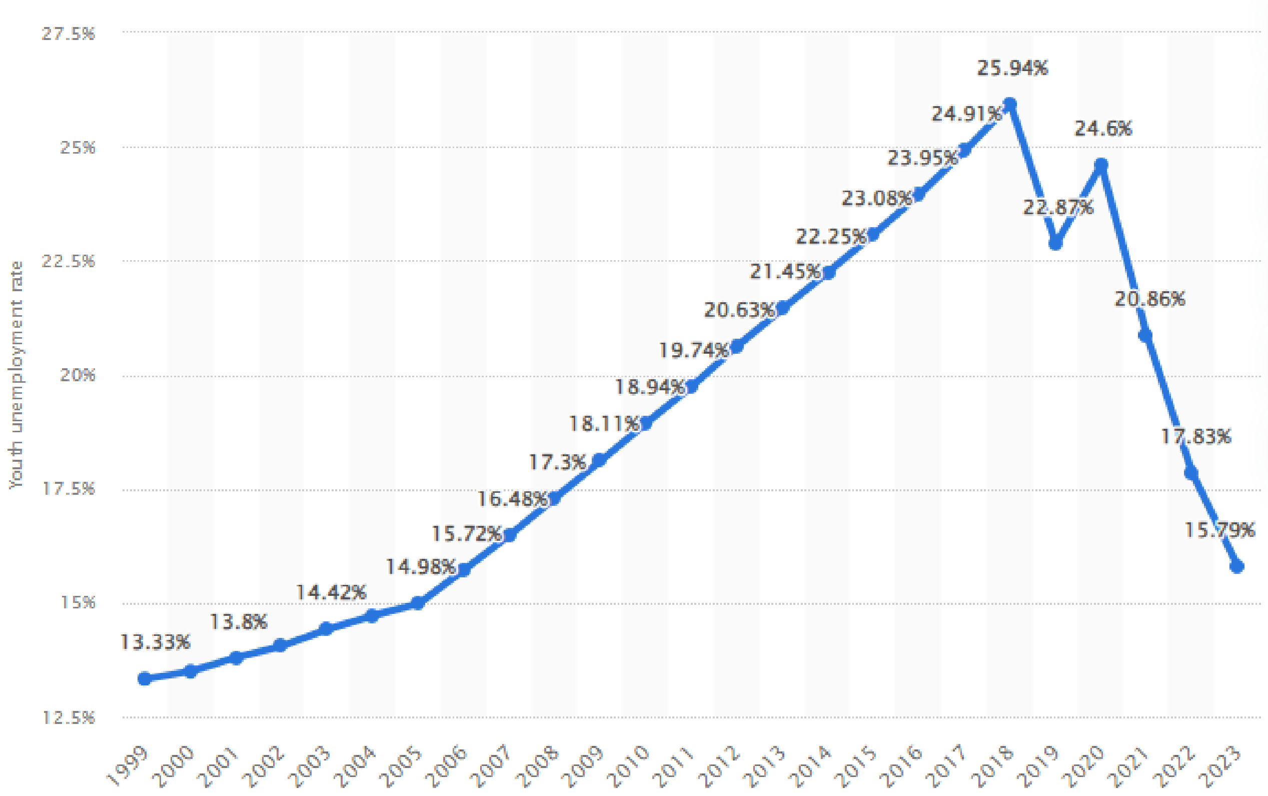

© Statista 2024

Additional Information

Show source

THE TIMES OF INDIA

INDIA

The aspiring youth and the skill gap

August 17, 2022, 8:00 PM IST / Monuranjan Borgohain in Voices, India, TOI

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN EMAIL

Monuranjan Borgohain
Monuranjan Borgohain, Founder and CEO of e2eHiring Pvt. Ltd. and DIATOZ Solutions Pvt. Ltd. (India and Singapore, DIATOZ Inc. (USA)

Globally, the Pandemic has resulted in a major shift in how we live and in the way we work.

The disconnect between Academia and Industry is becoming more evident today. As virtual is becoming the new norm there is a need to rework on skill development of the youth and mentoring the fresh talent. The Ministry of Statistics and Programme Implementation has released the 'Youth in India 2022' report recently wherein Bihar and Uttar Pradesh, experienced a rise in proportion of youth population to total population till 2021, along with Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan, are projected to have over half (52 per cent) of the country's youth.

Keeping these figures in mind, the unemployment crisis is raging in India today. One of the key reasons behind this problem is that there are a large number of youth passing out from colleges every year, and there are many new career options and job roles being added to various industries as well. However, the youth do not have awareness and the required skills that the new industries want. So there is a wide skill development and employment gap.

The majority of Indian students are aware of only a few career options in law, engineering, medicine, accounts and finance, design, computer applications and IT. There are several more career options that can be pursued in India. This lack of awareness among Indian youth regarding their future career options hampers the nation's economic development and growth at this prime youth dominated phase in India. There is a need to give training to the youth on live projects.

According to UNICEF and the Education Commission, more than 50 percent of Indian youth are off track and do not have the education and skills necessary for employment by 2030. The Covid-19 pandemic has made matters worse. 27 Jul 2023

Forbes India
https://www.forbesindia.com › ... › Public Good

Skilling: An Opportunity To Unlock India's Youth Potential

‘85% of engineering graduates not immediately employable...need to improve quality of education’

Sudha Murty, chairman, Infosys foundation says studies have shown that 85% of fresh engineering graduates are not immediately employable

Updated - May 02, 2022 11:34 am IST Published - May 02, 2022 12:13 am IST - belagavi

THE HINDU BUREAU

The Economic Survey 2023-24, presented in Parliament on July 22, reveals that **only 51.25% of India's graduates are deemed employable**, highlighting a significant skills gap despite the fact that this is a definite improvement over last decade's 34%. 2 days ago

India Today
https://www.indiatoday.in › ... › Latest Studies

One in two Indian graduates unemployable: Economic Survey ...

According to the Economic Survey 2023-24, 65% of India's fast-growing population is under the age of 35, and many lack the skills needed by a modern economy. It also stated that about 51.25% of the country's youth is deemed employable, according to estimates. This is to say that about one in two graduates are not yet readily employable straight out of college. However, it must be noted that the percentage has improved from around 34% to 51.3% in the last decade.

According to the Economic Survey 2023-24, 65% of India's fast-growing population is under the age of 35, and many lack the skills needed by a modern economy. It also stated that about 51.25% of the country's youth is deemed employable, according to estimates. This is to say that about one in two graduates are not yet readily employable straight out of college. However, it must be noted that the percentage has improved from around 34% to 51.3% in the last decade.

The 2022-23 Annual Report of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) notes, "as per National Single SignOn (NSSO), 2011-12 (68th round) report on Status of Education and Vocational Training in India, among persons of age 15-59 years, about 2.2% reported to have received formal vocational training and 8.6% reported to have received non-formal vocational training".

BUDGET
2024–2025

Ministry of Finance

PRIME MINISTER'S PACKAGE WORTH Rs. 2 LAKH CRORE CENTRAL OUTLAY ANNOUNCED; EMPLOYMENT, SKILLING AND OTHER OPPORTUNITIES FOR 4.1 CRORE YOUTH OVER A 5-YEAR PERIOD

UNION BUDGET 2024-25 PARTICULARLY FOCUSSES ON EMPLOYMENT, SKILLING, MSMEs AND MIDDLE CLASS: SMT. NIRMALA SITHARAMAN

Posted On: 23 JUL 2024 1:16PM by PIB Delhi

2024-25 के केंद्रीय बजट को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आवंटन की घोषणा की है।

उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।" इस फंडिंग से शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, नौकरी के अवसर पैदा करने और पूरे देश में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम पैकेज पांच मुख्य स्कीम को दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्किल्ड बनाना, है इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाता है। इस वर्ष 1.48 लाख करोड़ शिक्षा, रोजगार और स्किलिंग के लिए खर्च किया जाएगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman in her seventh budget speech on Tuesday announced three employment-linked incentive schemes in the Union Budget 2024-25.

The three schemes are part of the Prime Minister's package, and will align with enrolment in the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) and focus on the recognition of first-time employees, as well as support to both employers and employees.

UNION
BUDGET ₹
2024-25

Initiatives for Youth

Prime Minister's Package of 5 Schemes and Initiatives for Employment & Skilling with an outlay of Rs 2 lakh crore for our 4.1 crore youth

Employment Linked Incentive Package consisting following **3 schemes:**

Scheme A: 'First Timers' - To provide 1-month wage to all persons newly entering the workforce.

Scheme B: Job Creation in manufacturing sector- Incentive to be provided directly to both 1st-time employee & employer for their EPFO Contribution in first 4 years of employment.

Scheme C: Support to employers – Govt will reimburse employers upto Rs 3000/month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee.

4th Scheme: Skilling in collaboration with States & Industry. 1000 ITIs to be upgraded.

5th Scheme: Scheme for providing Internships in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years.

#BudgetforViksitBharat

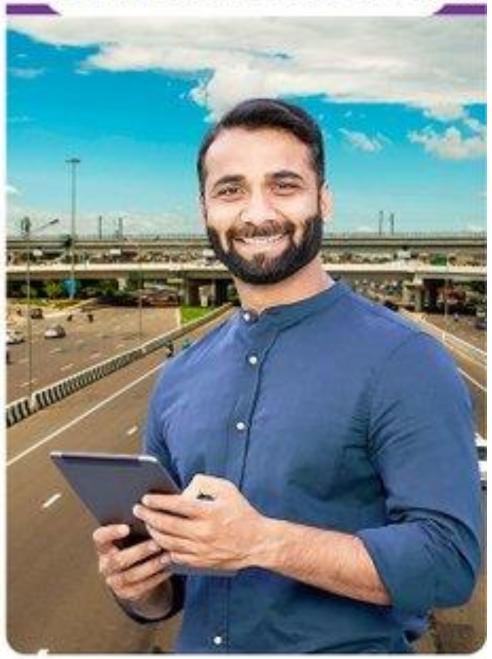

Employment & Skilling

02

PM's Package (3 schemes for Employment Linked Incentive)

Scheme A
First Timers

- One-month wage to new entrants in all formal sectors in 3 instalments up to ₹15,000 .
- Expected to benefit 210 lakh youth

Scheme B
Job Creation in Manufacturing

- Linked to first time employees
- Incentive to both employee & employer for EPFO contributions in the specified scales for the first 4 years
- Expected to benefit 30 lakh youth

Scheme C
Support to Employers

- Government will reimburse EPFO contributions of employers up to ₹3000 per month for 2 years for all new hires.
- Expected to generate 50 lakh jobs

myGOV
मेरी सरकार

3 Schemes for Employment-linked Incentives

Scheme A

First Timers

A direct benefit transfer (DBT) of one month's salary, up to Rs 15,000, will be provided in three instalments

Scheme B

Job Creation in Manufacturing

Direct Incentive to Both employee and employer as per EPFO contribution in first 4 years of employment

Scheme C

Support to Employers

Reimbursement up to Rs 3,000 per month for 2 years towards EPFO contributions for each additional employee

● LIVE

Employees' Provident Fund Organisation

Government ministry

The Employees' Provident Fund Organisation is one of the two main social security organization under the Government of India's Ministry of Labour and Employment and is responsible for regulation and management of provident funds in India, the other being Employees' State Insurance. Wikipedia

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा सगठन है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। विकिपीडिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है. EPFO, कर्मचारियों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाता है, जिनमें से एक कर्मचारी पेंशन योजना (EPF) भी है. यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देती है.

EPFO की कुछ और खास बातें:

- **EPFO एक सरकारी समर्थित योजना है.**
- **EPFO में कर्मचारी और कंपनी दोनों की तरफ़ से कर्मचारी के PF अकाउंट में 12% हिस्सा जमा होता है.**
- **कंपनी के योगदान में से 3.67% हिस्सा EPF खाते में जाता है और 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में.**
- **EPFO में कर्मचारी का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर-कटौती योग्य है.**
- **EPFO में अर्जित ब्याज़ और निकासी (परिपक्वता पर) भी कर-मुक्त होती है.**
- **EPFO के पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण व्यवस्था भी है. यहां संगठन के अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि प्रशिक्षण और सेमिनार के सत्रों में भाग लेते हैं.**

20 people

हिन्दी में In English

If you are an employer with an organization that employs 20 people or more, it is mandatory for you to register under the EPF scheme.

15,000/- या उससे कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सीमित) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं ।

Employees' Provident Fund Organisation
https://www.epfindia.gov.in › site_hi › FAQ

EPFO || FAQ

Yes, an employer must contribute an equal amount to each employee's Provident Fund (PF) account:

- Employee contribution: 12% of basic salary plus dearness allowance and retaining allowance
- Employer contribution: 12% of basic salary, of which 8.33% goes to the Employee Pension Scheme (EPS) and 3.67% goes to the EPF

EPFO || FAQ

select - EPFO || FAQ

119 - What is contribution rate payable for a member? Ans : At present, an...

If an establishment has fewer than 20 employees, the PF deduction rate is 10%.

Employer EPF Contribution: अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा किया जाता है. एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड में आपके भविष्य के लिए निवेश किया जाता है. एंप्लॉयी को अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12 फीसदी ईपीएफ (Employee Provident Fund) में जमा करना होता है. अमूमन एंप्लॉयर भी इस फंड में 12 फीसदी जमा करता है. इसके अलावा एंप्लॉयर आपके लिए NPS (National Pension Sysytem) में भी जमा कर सकता है. यह टैक्स के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है

आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी एंप्लॉयर की तरफ से प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है. हालांकि, यह राशि दो हिस्सों में बंट जाती है. एक हिस्सा एंप्लॉयी के प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जमा किया जाता है. दूसरा हिस्सा एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) में जमा की जाती है.

एंप्लॉयर का 12% कहां-कहां जमा होता है

नियम के मुताबिक, एंप्लॉयर के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में केवल 3.67 फीसदी ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है. बाकी का 8.33 फीसदी ईपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है. यहां एक और नियम को ध्यान में रखना है कि एंप्लॉयर की तरफ से EPS में अधिकत 1250 रुपए ही जमा किए जा सकते हैं. अगर बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी 1250 रुपए से ज्यादा बैठता है तो एडिशनल अमाउंट को एंप्लॉयर पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. 1250 रुपए की लिमिट 15000 रुपए की बेसिक सैलरी के आधार पर तय की गई है.

एंप्लॉयर भी NPS में जमा कर सकता है जो टैक्स फ्री होगा

इसके अलावा एंप्लॉयर आपके लिए NPS में भी जमा कर सकता है. यह टैक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है. एंप्लॉयर NPS में जितना जमा करेगा, उसपर सेक्शन 80CCD(2) के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसकी मैक्सिमम लिमिट बेसिक और डियरनेस अलाउंस का 10 फीसदी है. अगर एंप्लॉयी भी NPS अकाउंट में जमा करता है तो उसे सेक्शन 80सी के तहत ही लाभ मिलेगा.

1. पहली बार काम करने वालों के लिए: यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। EPFO में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer/DBT) 15,000 रुपये तक होगा। DBT का मतलब लाभार्थी के खाते में रकम का सीधा ट्रांसफर होता है। पात्रता सीमा 1,00,000 प्रति माह वेतन होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Scheme A - **This scheme worth ₹23,000 crore will provide one month wage to all persons newly entering the formal workforce across sectors. One month wage, up to a limit of ₹15,000 will be transferred across three instalments through a Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Eligibility is limited to a salary of ₹1 lakh per month. This scheme is expected to benefit 2.1 crore persons entering the workforce.**

2. **मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार**: यह योजना पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को प्रोत्साहित करेगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता (employee and the Employers), दोनों को सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

Scheme B - An incentive will be provided at a specific scale directly to both the employee and the employer according to their EPFO contribution during first four years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh people. ₹52,000 crore has been allocated for the scheme.

3. नौकरी देने वाले को सहायता: यह एम्प्लॉयर फोकस्ड योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। इसके तहत प्रति माह 1 लाख रुपये तक का वेतन पाने वाले सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 लाख रुपये तक या उससे कम वेतन के कर्मचारियों को नौकरी देने पर सरकार कंपनी को मदद देगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

Scheme C - Worth ₹32,000 crore, scheme C is to support employers covering additional employment across all formal sectors. The central government will reimburse employers up to ₹3,000 per month for two years towards their EPFO contribution for each additional employee.

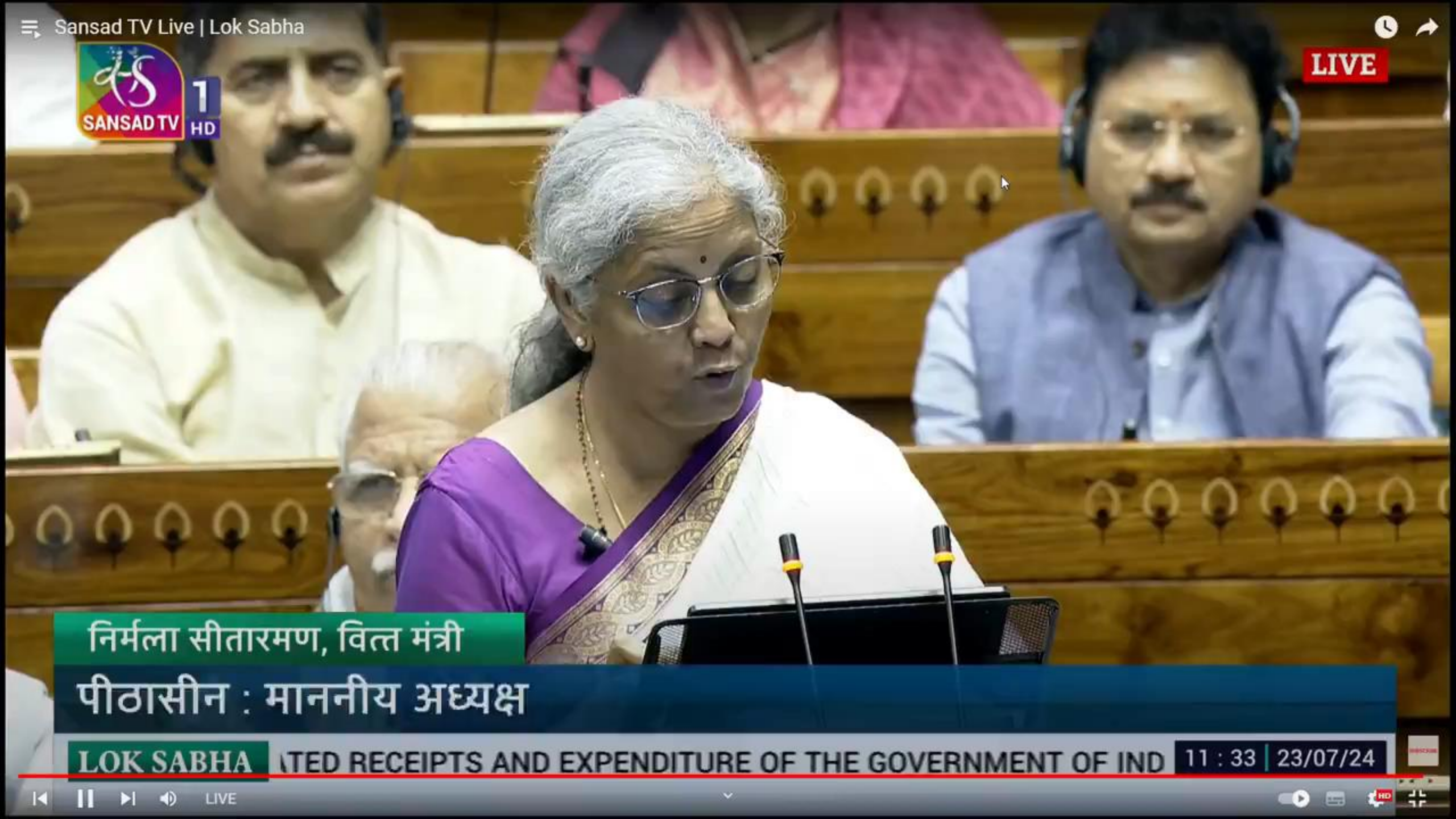
Sansad TV Live | Lok Sabha
SANSAD TV
1 HD
LIVE
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
पीठासीन : माननीय अध्यक्ष
LOK SABHA
ATED RECEIPTS AND EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF IND
11 : 33
23/07/24
LIVE

Internship Opportunities

- Scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years.
- Allowance of ₹5,000 per month along with a one-time assistance of ₹6,000 through the CSR funds.

PM's Package (5th scheme)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. अपने बजट भाषण में उन्होंने नौकरियों और स्किल से जुड़ी 5 पीएम पैकेज स्कीम्स का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, 500 टॉप कंपनियों में सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी. इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को 5 हजार रुपए हर महीने स्टाइपेंड दिए जाएंगे. जानिए किसे मिलेगा यह मौका और क्या है योग्यता.

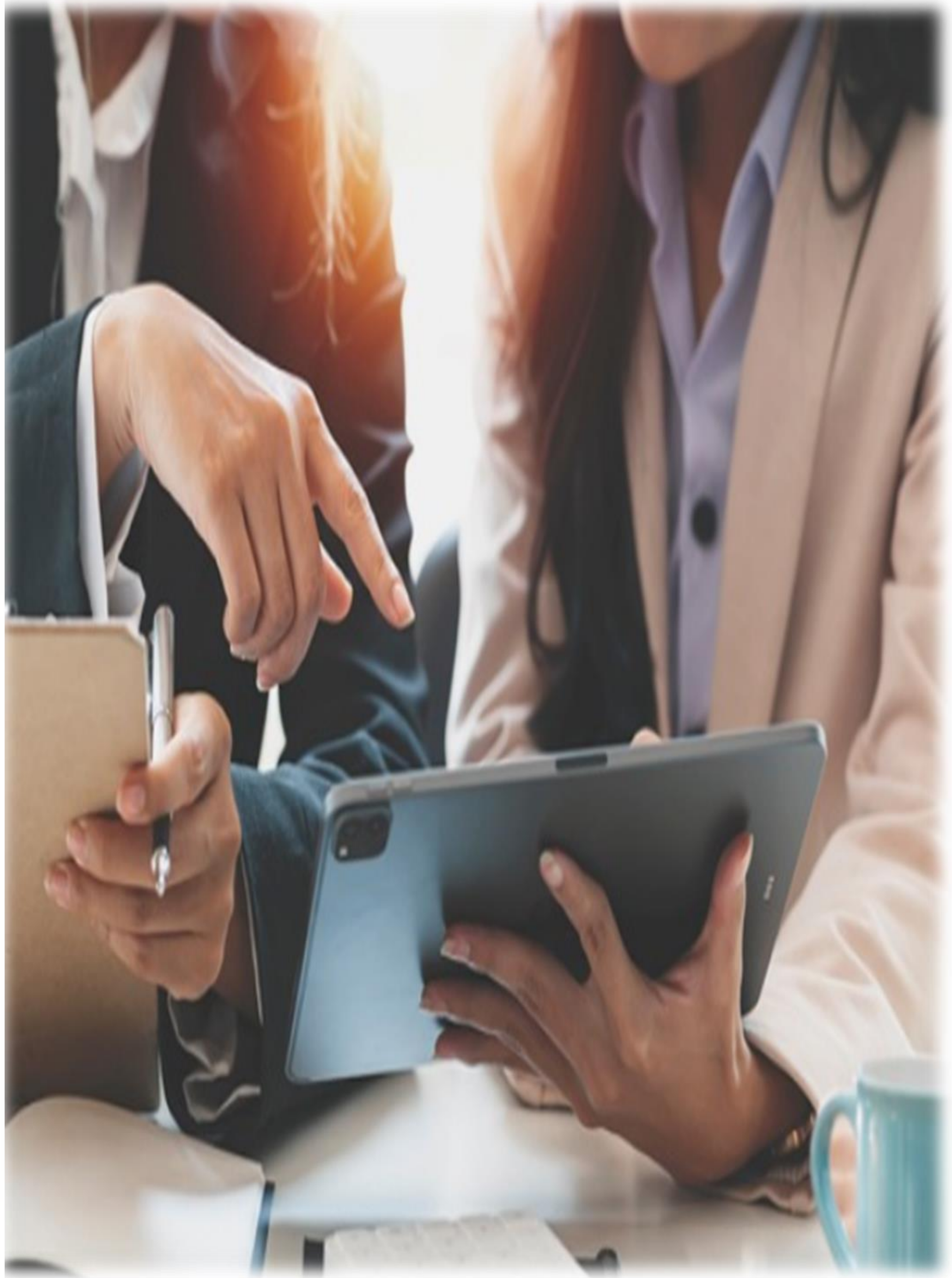

Internship

[ˈɪntɜːnʃɪp]

An internship is a temporary work experience that provides practical training and exposure to a professional.

किसे मिलेंगे हर माह 5 हजार रुपए?

सवाल है कि हर माह स्टाइपेंड के तौर पर 5 हजार रुपए किसे मिलेंगे? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, यह स्कीम प्रधानमंत्री पैकेज का हिस्सा है. हमारी सरकार एक ऐसी स्कीम लॉन्च करेगी जो 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी. ऐसा 5 साल के लिए किया जाएगा.

- ये युवा 12 महीनों तक वहां के माहौल में रहकर अनुभव को बढ़ाएंगे और खुद को भविष्य के लिए तैयार करेंगे. इन्हें हर महीने में 5 हजार रुपए इंटर्नशिप अलाउंस के तौर पर दिए जाएंगे. इसके अलावा 6 हजार रुपए भी वनटाइम असिस्टेंस अलाउंस भी दिए जाएंगे.

इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई खत्म करने के इंटर्नशिप करके किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं. इसके लिए उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. इसके लिए उन्हें मौका मिलेगा जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है और न ही फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं. इन्हें स्टाइपेंड का फायदा मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ट्रेनिंग में होने वाला खर्च कंपनी उठाएगी. इसके अलावा इंटर्नशिप कॉस्ट का 10 फीसदी हिस्सा कंपनी के CSR फंड से लिया जाएगा.

- **The company is expected to provide the person an actual working experience on a skill in which the company is directly involved. At least half the time should be in actual working experience/job environment, not in the classroom. However, candidates belonging to IIT, IIM, IISER, CA, etc streams or those with at least one government-employed family member will not be eligible.**

Commenting on this initiative, Pankaj Lochan, chief human resources officer of Navin Fluorine International said, "Interning at top companies boosts employability by equipping youths with real-world problem-solving skills, experience in diverse teams, and practical application of their knowledge, making them more attractive to future employers. Such long-term internship provides hands-on experience and real-world exposure, helping interns develop practical skills and understand industry dynamics, bridging the gap between theoretical knowledge and actual application."

- Facilitate higher participation of **women** in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry, and establishing creches.

- Loans up to ₹**7.5 lakh** with a guarantee from a government promoted Fund.
- Expected to help **25,000** students every year.

- Financial support for loans upto ₹10 lakh for higher education in domestic institutions.
- Direct E-vouchers to 1 lakh students every year.
- Annual interest subvention of 3%

Skilling Programme

- 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period.
- 1,000 Industrial Training Institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation.
- Course content & design aligned as per skill needs of industry.

PM's Package (4th scheme)

4. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी: यह योजना उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों (hostels) की स्थापना और क्रैश की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, साझेदारी महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम (specific skilling programms) आयोजित करने के रूप में महिलाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

बजट 2024 में नई स्कीम का ऐलान

5. कौशल कार्यक्रम: वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 'मुझे एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (centrally sponsored scheme) की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकार और उद्योग जगत के सहयोग से कौशल विकास की चौथी योजना है। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।'

यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। मंत्री ने कहा कि 7.5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा के लिए मॉडल कौशल लोन योजना (model skilling loan scheme) को संशोधित किया जाएगा।

कौशल प्रयासों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, 1,000 ITI को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पाठ्यक्रम, सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस योजना से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन -

- **इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर मिलेगा.**

- **हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी.**

हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

- **Skilling Programme and Upgradation of Industrial Training Institutes:** Under this policy, the central government (Rs. 30,000 crore) in collaboration with the state government (Rs. 20,000 crore) and companies (Rs. 10,000 crore from CSR funds) will deploy Rs. 60,000 crore to upgrade 1000 Industrial Training Institutes (ITIs).

- It will cover 200 hubs and 800 spoke (ITIs), redesign existing courses, launch new courses, and augment the capacity of 5 national institutes. It is expected to benefit 20 lakh students.

Corporate Social Responsibility (CSR) funds are voluntary contributions made by companies for the benefit of society.

In India, companies with a net worth of more than INR 500 crore, a turnover of more than INR 1,000 crore, or a net profit of more than INR 5 crore are required to spend at least 2% of their average net profits from the previous three years on CSR activities.

ECONOMIC SURVEY 2023-24

Employment and Skill Development: Towards Quality

- Unemployment rate declined to 3.2% in 2022-23 as per Periodic Labour Force Survey
- Net payroll additions under EPFO have more than doubled in the past five years
- Rising youth and female participation in the workforce an opportunity to tap the demographic and gender dividend
- Need to strike a balance between deploying capital and labour
- Indian economy needs to generate an average of 78.5 lakh jobs in non-farm sector annually until 2030

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibindia

ECONOMIC SURVEY 2023-24

Higher Employment Growth in Larger Factories

CAGR between 2017-18 and 2021-22

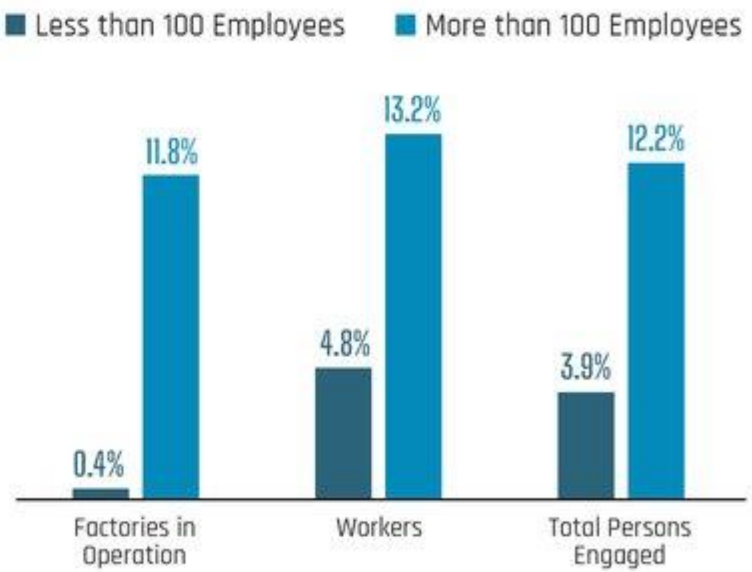

Source: Annual Survey of Industries

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibindia

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH
Subject
HISTORY ,POLITY
GEOGRAPHY
ECONOMICS
Price
1499 /-
Validity
1 Year
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION
Hand Written Notes
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
Ankit Inspires India
₹ Only 1999
6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति
आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास
Ankit Kumar Avasthi
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।

→ तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।

→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।

→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।

→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।

→ पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।

→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल

→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ <u>झेलम</u>, <u>चिनाब</u>, <u>रावी</u>, <u>व्यास</u>, <u>सतलज</u>, <u>ट्रांस तथा जास्कर</u>

पंचनद

→ सिंधु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।

→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

<u>पंचनद</u>

i) <u>झेलम</u> :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

बेरिनाग झील से होता है।

* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।

→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।

→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौविहन परियोजना है।

→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) <u>चिनाब</u> :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।

→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार

→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) <u>रावी</u> :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।

→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

Title: ______ Date: __/__/____

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3). दोलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :-
यह सिद्धान्त डॉ. एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीडित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) :
यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक एलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिण्ड के विस्फोट के पश्चात अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

Title: ______ Date: __/__/____

(तारों का निर्माण) : तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है।

(सौरमण्डल)
सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्व विद्यमान हैं। सूर्य का केन्द्रीय भाग क्रोड (Core) कहलाता है।
→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।
→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सैकेण्ड का समय लगता है।
→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹

1999

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

2

INCOME TAX
SLABS
1040
U.S. Individual Income Tax Return
2020
1120

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और...

368K views • Streamed 4 hours ago

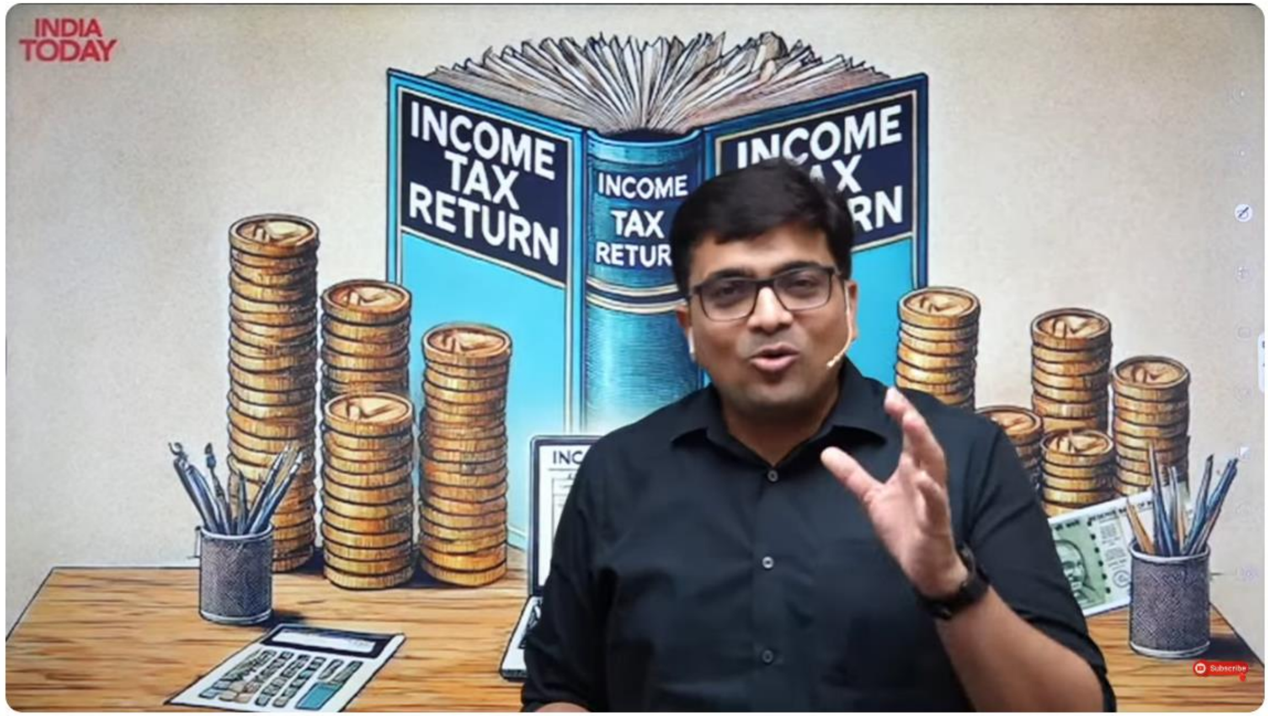

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और NAIDU BY ANKIT AVASTHI SIR

Ankit Inspires India
4.01M subscribers

Join | Subscribed | 26K | Share | Download

Capital Gains Tax
Environmental Tax
Inheritance Tax
Corporate Tax
Property Tax
TAXES
Income Tax
Production Tax
Wealth Tax
Value added Tax
VAT
Sale Tax

हर साल बजट में देश के वित्त मंत्री इनकम टैक्स (IT) यानी आयकर की बात करते हैं. कभी आयकर (Income Tax) के स्लैब में बदलाव किया जाता है तो कभी टैक्स छूट बढ़ाया-घटाया जाता है.

कभी इनकम टैक्स (IT)बचत के लिए निवेश के विकल्प की बात की जाती है तो कभी आयकर (Income Tax) बचत के लिए जारी कुछ सुविधाओं को खत्म करने या कुछ नई सुविधा शुरू करने की बात की जाती है.

इनकम टैक्स (IT) यानी आयकर (Income Tax) हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स है. हर साल हमें अपनी आमदनी में से एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ता है.

इनकम टैक्स (IT)अलग-अलग आमदनी वाले लोगों पर अलग-अलग तरीके से लगाया जाता है.

सरकार नागरिकों से टैक्स क्यों वसूलती है?

दरअसल कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और संस्थानों को जो नागरिक सेवा उपलब्ध कराती है, उन पर उसे काफी रकम खर्च करना पड़ता है. इसमें सड़क, बिजली-पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्च शामिल हैं.

किसानों और गरीब लोगों को विभिन्न सुविधा पर दी जाने वाली सब्सिडी या मदद आदि भी इन खर्च में शामिल है. इस खर्च को भारत सरकार दो तरह के कर लगाकर पूरा करने के प्रयास करती है.

Tax

Direct Tax

Person pays tax from own pocket

Example

Income Tax

Indirect Tax

Person collects Tax from Customer Pays to Government

Example

~~Vat. Service Tax, Excise, Customs etc.~~ ***GST***

डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स (IT)या आयकर (Income Tax) है. हर साल के हिसाब से पहले से तय नियम के मुताबिक सरकार देश के उन सभी नागरिकों और संस्थाओं से इनकम टैक्स (Income Tax) वसूल करती है, जिनकी आमदनी टैक्स देने लायक होती है.

आयकर चुकाने के लिए ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर या ITR) फाइल करते हैं.

इसमें व्यक्तिगत करदाता, संयुक्त परिवार, कंपनियां, फर्म, संगठन, संस्था आदि शामिल हैं. टैक्स चुकाने वाले इन सभी पक्षों से उनकी आमदनी के हिसाब से अलग-अलग आयकर वसूला जाता है.

क्या है संवैधानिक प्रावधान?

भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है, जिनकी आमदनी कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से है.

यह टैक्स देश के नागरिकों और संस्थाओं पर किन शर्तों व नियमों के हिसाब से लगेंगे, इनके बारे में इनकम टैक्स (Income Tax) कानून 1961 और इनकम टैक्स (Income Tax) कानून, 1962 में विस्तृत जानकारी दी गयी है.

- **केंद्र सरकार की संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (यानी CBDT) भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी करती है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आईटीआर फॉर्म CBDT ही जारी करती है.**

इनकम टैक्स कानून (ITA) के सेक्शन 10(1) में कृषि आय को इनकम टैक्स या आयकर (Income Tax) के दायरे से बाहर रखा गया है. कृषि आय किस आमदनी को माना जायेगा, इसका उल्लेख इनकम टैक्स (Income Tax) कानून के सेक्शन 2(1A) में किया गया है.

Ministry of Finance

A record of over 8.18 crore Income Tax Returns (ITRs) filed for A.Y. 2023-2024 upto 31.12.2023; Y-o-Y increase of 9%

Income Tax Department made over 103.5 crore outreaches through targeted e-mail, SMS and other creative campaigns

e-filing Helpdesk team handled approximately 27.37 lakh queries from taxpayers during the year upto 31.12.2023

Digital e-pay tax payment platform TIN 2.0 enabled user-friendly options for e-payment of taxes and real time credit of taxes to taxpayers making ITR filing easier and faster

Posted On: 01 JAN 2024 6:33PM by PIB Delhi

The Income-tax Department has recorded a surge in filing of Income-tax Returns (ITRs), resulting in a new record of **8.18 crore ITRs** for the A.Y. 2023-2024 filed upto 31.12.2023 as against 7.51 crore ITRs filed upto 31.12.2022. This is **9%** more than the total ITRs filed for A.Y. 2022-23. The total number of audit reports and other forms filed during the period is **1.60 crore,** as against **1.43 crore** audit reports and forms filed in the corresponding period of preceding year.

It is also observed that a large number of taxpayers did their due diligence by comparing data of their financial transactions by viewing their Annual Information Statement (AIS) and Taxpayer Information Summary (TIS). A substantial portion of the data for all ITRs was prefilled with data pertaining to salary, interest, dividend, personal information, tax payment including TDS related information, brought forward losses, MAT credit, etc to further ease compliance by taxpayers. The facility was used extensively, resulting in smoother and faster filing of ITRs.

Further, during this F.Y. 2023-2024, a digital e-pay tax payment platform - TIN 2.0 was made fully functional on the e-filing portal, replacing the OLTAS payment system. This enabled user-friendly options for e-payment of taxes such as Internet Banking, NEFT/RTGS, OTC, Debit Card, payment gateway and UPI. TIN 2.0 platform has enabled real time credit of taxes to taxpayers which made ITR filing easier and faster.

To encourage taxpayers to file their ITRs and Forms early, over **103.5 crore** outreaches were made through targeted e-mail, SMS and other creative campaigns. Such concerted efforts led to fruitful results with 9% more ITRs being filed for A.Y. 2023-24 till 31.12.2023. The e-filing Helpdesk team handled approximately **27.37 lakh** queries from taxpayers during the year upto 31.12.2023, supporting the taxpayers proactively during the peak filing periods. Support from the helpdesk was provided to taxpayers through inbound calls, outbound calls, live chats, WebEx and co-browsing sessions. Helpdesk team also supported resolution of queries received on the X(Twitter) handle of the Department through Online Response Management (ORM), by proactively reaching out to the taxpayers/ stakeholders and assisting them for different issues on near real-time basis.

The IT Department further requests to the taxpayers to verify their unverified ITRs if any, within 30 days of filing the ITR to avoid any consequences.

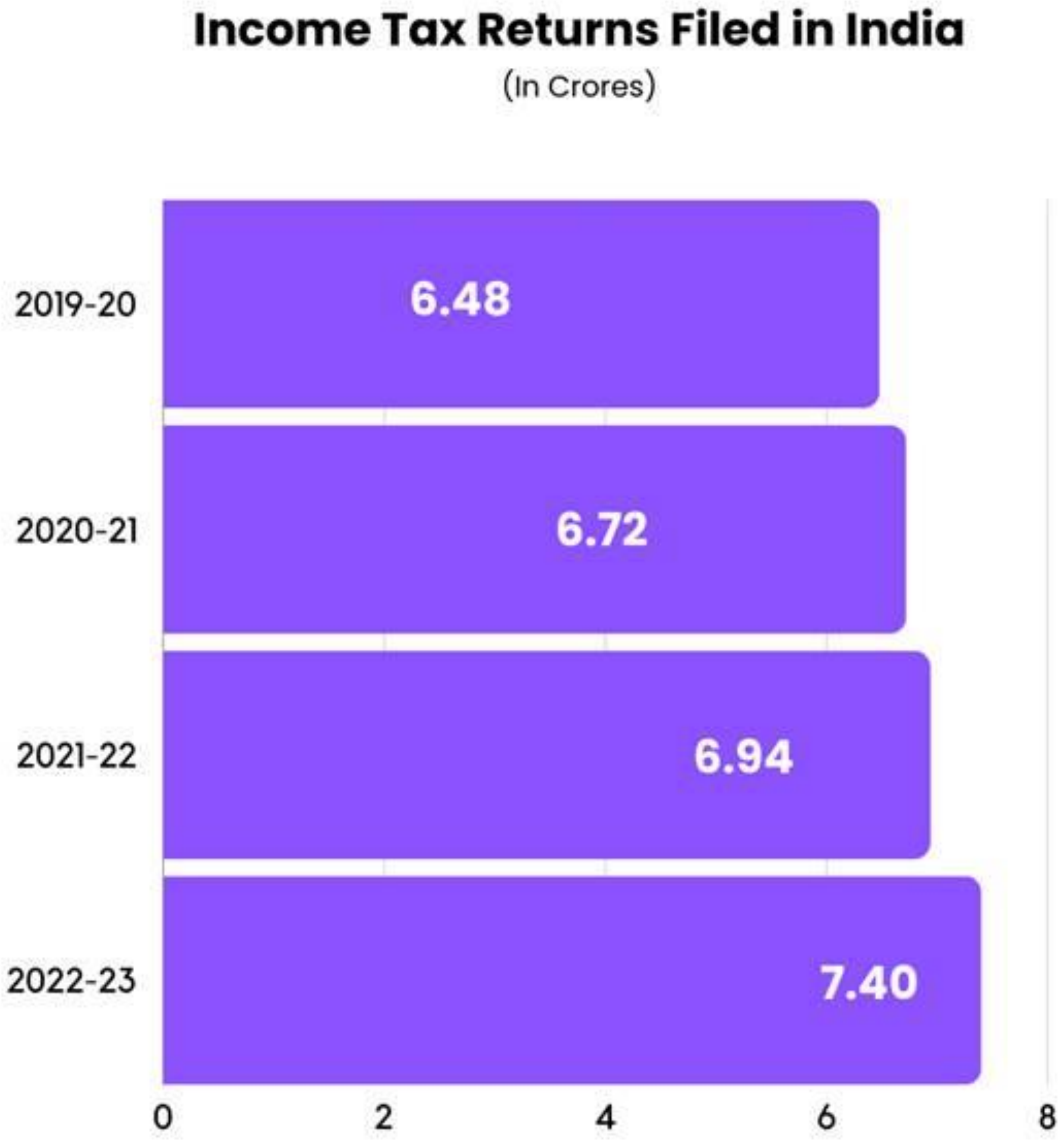
Income Tax Returns Filed in India
(In Crores)
2019-20
6.48
2020-21
6.72
2021-22
6.94
2022-23
7.40
0
2
4
6
8

TAX

देश में इनकम टैक्स का पहला कानून 164 साल पहले आया था। 1860 में अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था। देश के पहले बजट में 200 रुपए तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं।

- आयकर अधिनियम 1961 नियमों और विनियमों का समूह है जिसके आधार पर आयकर विभाग कर लगाता है, प्रशासन करता है, संग्रह करता है और वसूलता है। इसमें 298 धाराएँ, 23 अध्याय और कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनमें भारत में कराधान के सभी पहलू शामिल हैं।

1860 में 200 रुपए से ज्यादा की कमाई पर 4% तक टैक्स लगता था

देश के पहले बजट में 200 रुपए से 500 रुपए तक की सालाना आय वालों पर 2% और 500 रुपए से ज्यादा कमाई पर 4% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। इनकम टैक्स कानून में सेना, नौसेना और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई थी। हालांकि, उस समय ज्यादातर कर्मचारी अंग्रेज ही थे।

सेना के कैप्टन का वेतन 4,980 रुपए और नौसेना के लेफ्टिनेंट का 2,100 रुपए था। हालांकि, इनकम टैक्स का कानून का उस समय कड़ा विरोध हुआ था। उस समय के मद्रास प्रांत के गवर्नर सर चार्ल्स टेवेलियन ने भी विरोध किया था। विल्सन का ये कानून ब्रिटेन के इनकम टैक्स कानून की तरह ही था। ब्रिटेन में 1798 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने भी सेना का खर्च निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून बनाया था।

1858 में भारत में ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हो गया

1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इससे देशभर में आंदोलन छिड़ गया। इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना के खर्च में बेहिसाब बढ़ोतरी कर दी। 1856-57 में अंग्रेजों ने सेना पर 1 करोड़ 14 लाख पाउंड खर्च किए थे। यह खर्च 1857-58 में बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख पाउंड तक कर दिया गया। उस जमाने में 1 पाउंड 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। एक नवंबर 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की ही हुकूमत होगी। इसी दौरान 'द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858' आया। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सभी आर्थिक मामलों का नियंत्रण भारत के पहले मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) चार्ल्स वुड के हाथों में आ गया।

1857 की क्रांति की वजह से 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मेंबर (वित्त मंत्री) बना दिया गया। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। पहले ही बजट में पहली बार तीन टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। पहला- इनकम टैक्स, दूसरा- लाइसेंस टैक्स और तीसरा- तंबाकू टैक्स। इन तीनों टैक्सों की घोषणा करते समय विल्सन ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका ये कदम 'इंडियन' नहीं बल्कि 'भारतीय' ही है।

1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया, इसके बाद ही आयकर विभाग बना

- असहयोग आंदोलन के समय 1922 में भारत में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसी समय आयकर विभाग के विकास की कहानी भी शुरू हुई। नए कानून में आयकर अधिकारियों को अलग-अलग नाम दिए गए। 1946 में पहली बार परीक्षा के जरिए आयकर अधिकारियों की सीधी भर्ती हुई। इसी परीक्षा को ही 1953 में 'इंडियन रेवेन्यू सर्विस' यानी 'आईआरएस' नाम दिया गया।
- 1963 तक आय कर विभाग के पास संपत्ति कर, सामान्य कर, प्रवर्तन निदेशालय जैसे प्रशासनिक काम थे। इसलिए 1963 में राजस्व अधिनियम केंद्रीय बोर्ड कानून आया, जिसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का गठन किया गया।
- 1970 तक टैक्स की बकाया राशि वसूल करने का अधिकार विभाग के राज्य प्राधिकारियों के पास था। लेकिन 1972 में टैक्स वसूली के लिए नई विंग बनाई गई और कमिश्नर नियुक्त किए गए। इनकम टैक्स कानून में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं।

Key Milestones
in Indian Income Tax System

- **1860** – Introduction of Income Tax by Sir James Wilson
- **1922** – Comprehensive Income-tax Act established
- **1924** – Central Board of Revenue Act constituted
- **1946** – Recruitment of Group A officers
- **1957** – I.R.S. (Direct Taxes) Staff College started, later renamed National Academy of Direct Taxes
- **1981** – Initiation of computerization in the Income-tax Department
- **2009** – Establishment of Centralized Processing Centre (CPC) in Bengaluru
- **2014** – Launch of the new national website of the Income Tax Department
- **2020** – Introduction of the "Vivad se Vishwas" scheme to reduce litigations and generate government revenues
- **2021** – Launch of the new e-filing portal

INCOME TAX
moneycontrol
The Reset
BUDGET
2024
SUNEESH K

बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

₹ UNION BUDGET 2024-25

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE

सत्यमेव जयते

Tax Relief and Revised Tax Slabs in New Tax Regime

0-3 lakh rupees	Nil
3-7 lakh rupees	5 per cent
7-10 lakh rupees	10 per cent
10-12 lakh rupees	15 per cent
12-15 lakh rupees	20 per cent
Above 15 lakh rupees	30 per cent

- Income tax saving of up to ₹ 17,500/- for salaried employee in new tax regime

Income Tax Relief for around Four Crore Salaried Individuals and Pensioners

- Standard deduction for salaried employees to be increased from ₹ 50,000/- to ₹75,000/-
- Deduction on family pension for pensioners to be increased from ₹ 15,000/- to ₹ 25,000/-

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIBHindi

PIB India
@PIB_India

🔰Emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years with a venture capital fund of ₹1,000 crore

🔰Major relief to 4 crore salaried individuals and pensioners in income tax

🔰Standard deduction increased from ₹50,000 to ₹ 75,000 for those in new tax regime

🔰Deduction on family pension increased from ₹15,000 to ₹25,000

Read more: pib.gov.in/PressReleasePa ...

#UnionBudget2024
#BudgetForViksitBharat
#Budget2024

3:59 PM · Jul 23, 2024 · 3,023 Views

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना. लोगों में और न्यू टैक्स रिजीम और लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है. साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है.

इससे पहले पिछले साल न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था.

इससे पहले ये न्यू टैक्स स्लैब था (New Tax Slab- 2023)-

0 से तीन लाख पर 0 फीसदी

3 से 6 लाख पर 5 फीसदी

6 से 9 लाख पर 10 फीसदी

9 से 12 लाख पर 15 फीसदी

12 से 15 लाख पर 20 फीसदी

15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी (अब ये टैक्स स्लैब खत्म हो गया है)

ओल्ड टैक्स स्लैब ((Old Tax Slab)-

2.5 लाख तक- 0%

2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%

5 लाख से 10 लाख तक- 20%

10 लाख से ऊपर- 30%

बता दें, साल 2020 में सरकार ने पहली बार New Tax Slab पेश किया था, जो अधिकतर आयकरदाताओं को पसंद नहीं आया था. फिर उसी में पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था. पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था. उसके बाद भी करीब 25 फीसदी आयकरदाता ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था. जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है. नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है.

OLD TAX REGIME

Income Slab	Income Tax Rate
up to ₹2,50,000	Nil
₹2,50,001 to ₹5,00,000	5%
₹5,00,0001 to ₹10,00,000	20%
More than ₹10,00,000	30%

2020

NEW TAX REGIME

Income Slab	Income Tax Rate
up to ₹3,00,000	Nil
₹3,00,0001 to ₹6,00,000	5%
₹6,00,001 to ₹9,00,000	10%
₹9,00,001 to ₹12,00,000	15%
₹12,00,001 to ₹15,00,000	20%
More than ₹15,00,000	30%

2023

INDIA TODAY
@vaniiguptaa

क्रम	पुराने स्लैब	पुरानी दर	नए स्लैब	नई दर
1	3 लाख	0%	3 लाख	0%
2	3-6 लाख	5%	3-7 लाख	5%
3	6-9 लाख	10%	7-10 लाख	10%
4	9-12 लाख	15%	10-12 लाख	15%
5	12-15 लाख	20%	12-15 लाख	20%
6	15 लाख से ज्यादा	30%	15 लाख से ज्यादा	30%

TAX
Old Tax Regime
New Tax Regime

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime)

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) पारंपरिक टैक्स स्ट्रक्चर का पालन करती है, जिसमें अलग-अलग रीबेट, डिडक्शंस और रियायतें शामिल हैं. टैक्सपेयर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80सी, 80डी और अन्य धाराओं के तहत कटौती जैसे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि यह व्यवस्था टैक्सेबल इनकम को कम करने के रास्ते प्रदान करती है, लेकिन इसे नेविगेट करना जटिल और समय लेने वाला हो सकता है.

नई कर व्यवस्था (New Tax Regime)

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BAC के तहत शुरू की गई न्यू टैक्स रिजीम, लोअर टैक्स स्लैब के साथ एक सिंप्लाइड स्ट्रक्चर प्रदान करती है और अधिकांश छूट और कटौतियों को समाप्त करती है. इस व्यवस्था का मकसद टैक्स प्रॉसेस को सुव्यवस्थित करना है, जिससे इसे टैक्सपेयर्स के लिए और अधिक सरल बनाया जा सके. हालांकि, यह सरलता ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत उपलब्ध अलग-अलग टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज को छोड़ने की कीमत पर आती है.

The standard deduction is available as a flat deduction from the total salary earned by the employee in a particular financial year. It does not depend on the number of jobs changed by the employee. Hence one flat deduction is available for the cumulative salary earned from all the employers.

न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स

क्र. स.	स्लैब	टैक्स	कितना टैक्स चुकाना होगा
1	₹3 लाख तक	0%	**0**
2	₹3 लाख से ₹7 लाख तक	5%	**₹20 हजार**
3	₹7 लाख से ₹10 लाख तक	10%	**₹50 हजार** (20,000+30,000)
4	₹10 लाख से ₹12 लाख तक	15%	**₹80 हजार** (20,000+ 30,000+30,000)
5	₹12 लाख से ₹15 लाख तक	20%	**₹1.40 लाख** (20,000+ 30,000+ 30,000+ 60,000)
6	₹15 लाख से ज्यादा	30%	**₹1.40 लाख से ज्यादा**

Free

INCOME TAX REBATE

under Section 87A

वित्त मंत्री के बजट में किए गए एलानों के बाद अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी।

7 लाख की आमदनी तक क्यों नहीं देना होता टैक्स?

भले ही नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है लेकिन सात लाख तक कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना होता है। इसका कारण है इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट। धारा 87ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएग और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतनी इनकम को टैक्स-फ्री बनाने में धारा-87ए के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट का लाभ मिलना था, जिसके बारे में अबकी बार बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है.

3.75 लाख या 7.75 लाख, आखिर कितनी इनकम हुई टैक्स फ्री?

- अबकी बार बजट में सरकार ने धारा-87ए की टैक्स रिबेट का कोई जिक्र नहीं किया है. इस तरह आपकी 3 लाख रुपए तक ही इनकम ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री होगी. इस पर 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा जोड़ भी लिया जाए, तो मैक्सिमम 3.75 लाख रुपए की इनकम ही टैक्स फ्री कैटेगरी में आएगी. जबकि सरकार ने 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% का इनकम टैक्स रखा है.

- इस तरह इस टैक्स स्लैब में अगर 3.75 लाख रुपए को घटा भी दें तो आपकी 3.25 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी. इस पर 5% की दर से टैक्स लगाने पर आपका टैक्स 16,250 रुपए बनेगा. अगर सरकार इस पर धारा-87ए के तहत रिबेट देगी, तब भी आपकी इनकम 7 लाख रुपए या 7.75 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगी. अगर सरकार टैक्स रिबेट नहीं देती है, तब उल्टा आपकी जेब से टैक्स वसूला जाएगा.

न्यू टैक्स रिजीम में ₹7 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी

7 लाख का हिसाब	टैक्स रेट	कैलकुलेशन	टैक्स
₹3 लाख तक	0%	₹3 लाख का 0%	₹0
₹3 लाख से ₹7 लाख	5%	₹4 लाख का 5%	₹20,000

कुल टैक्स : ₹20 हजार

7 लाख तक की कमाई पर 20 हजार टैक्स बनता है। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 20 हजार रुपए माफ कर देती है। वहीं सैलरीड पर्सन को 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलता है। यानी उनकी 7.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।

8.50 लाख रुपये की सालाना आमदनी पर आयकर का गणित क्या?

अगर किसी करदाता की आमदनी 8 लाख 50 हजार रुपये सालाना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7,75,000 हजार रुपये रह जाती है। नई कर प्रणाली के तहत नई दर के अनुसार उसे आयकर के रूप में 27500 चुकानें पड़ेंगे। पुरानी दरों के आधार पर उक्त करदाता की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये मानी जाती। ऐसे में उसे पुरानी दरों के हिसाब से उसे 35000 रुपये कर के रूप में चुकाने होते। इस तरह वित्त मंत्री के स्लैब बदलने के एलान के बाद अब करदाता को 7,500 रुपये की बचत होगी।

पहले की स्थिति में कर की गणना

कुल आय-	8,50,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 घटाने पर	8,50,000-50000= 7,50,000
तीन लाख तक कर 0%	0
3-6 लाख पर 5%	15000
बचे दो लाख पर कर 10%	20000
कुल कर देयता	35000

नई दरों के बाद कर की गणना

कुल आय-	8,50,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 घटाने पर	8,00,000-75,000= 7,75,000
तीन लाख तक कर 0%	0
3-7 लाख पर 5%	20,000
बचे 75000 10%	7,500
कुल कर देयता	27,500

करदाता को लाभ: 35,000-27,500 = 7,500 रुपये

पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री

पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं।

10 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स का फॉर्मूला

कमाई (रुपए में)	टैक्स (% में)	टैक्स (रुपए में)
2.5 लाख तक	0%	0
2.5 से 5 लाख तक	5%	12,500 रुपए
5 से 7.5 लाख तक	20%	50,000 रुपए
7.5 से 10 लाख तक	20%	50,000 रुपए

कुल टैक्स : अधिकतम 1,12,500 रुपए

कुल 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

टैक्स बचेगा कैसे ?

सेक्शन 80C 1.5 लाख	**सेक्शन 24B** 2 लाख	**सेक्शन 80D** 1 लाख

सेक्शन 80CCD (1B) 50,000	**सेक्शन 87A** 5 लाख तक की छूट

सभी सेक्शन पर अधिकतम टैक्स छूट के बाद कैलकुलेशन

निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स: अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।

होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा: अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी।

मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री: सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.50 लाख रुपए रह जाएगी।

सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर किए गए 1 लाख रुपए पर टैक्स छूट

कवर किए गए व्यक्ति	अधिकतम टैक्स छूट
खुद और परिवार के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर	₹25 हजार रुपए
खुद और परिवार + माता-पिता के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर	25,000+25,000= ₹50 हजार
खुद और परिवार + माता-पिता (60 साल से ज्यादा उम्र) के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर	25,000+50,000= ₹75 हजार
खुद (60 साल से ज्यादा उम्र) और परिवार + माता-पिता (60 साल से ज्यादा उम्र) के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर	50,000+50,000= ₹ 1 लाख

- **नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट:** अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी।
- **अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा:** इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना होगा।
- **12 बजट में सिर्फ 4 बार बदले इनकम टैक्स स्लैब**

बीते सालों में 6 बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए। बजट 2020-21 में नई टैक्स रिजीम दी गई थी, तक से इनकम टैक्स स्लैब में बदली नहीं हुआ है।

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH
Subject
HISTORY ,POLITY
GEOGRAPHY
ECONOMICS
Price
1499/-
Validity
1 Year
By Ankit Avasthi Sir
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।

→ तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।

→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।

→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।

→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।

→ पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।

→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल

→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर
पंचनद

→ सिंधु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।

→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

वेरिनाग झील से होता है।

* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।

→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।

→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौवहन परियोजना है।

→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।

→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।

उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार

→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।

→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3). दोलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :-

यह सिद्धान्त डॉ. एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीडित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) :

यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक एलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिण्ड के विस्फोट के पश्चात अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

तारों का निर्माण : तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है।

सौरमण्डल

सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्व विद्यमान हैं। सूर्य का केन्द्रीय भाग क्रोड (Core) कहलाता है।

→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।

→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सैकेण्ड का समय लगता है।

→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹

1999

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

3

STOCK MARKET CRASHES ON INCREASE
OF TAX IN CAPITAL GAINS IN BUDGET

Top stories

Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2024 >

News18

Union Budget 2024: Why Stock Markets Are Falling Today?

4 hours ago

The Hindu

Budget 2024: Stocks wobble on capital gain tax plan

6 hours ago

The Indian Express

Stock Market Live Update: Stock markets fall as govt increases tax on capital...

11 hours ago

Moneycontrol

Higher LTCG, STCG rates implemented with immediate effect; higher STT on F&O...

16 hours ago

The Hindu BusinessLine

Share Market Highlights 23 July 2024: Sensex, Nifty dip as Govt raises capital gai...

14 hours ago

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और...

414K views • Streamed 8 hours ago 34.6K VPH 4.4x

Ankit Inspires India 4.01M subscribers

Register for ChatGPT & AI workshop for FREE: https://link.growthschool.i
100% Discount + ₹5000 BONUS for first 1000 ...

BUDGET 2024 : MARKET CRASH AFTER BUDGET 74 हजार करोड़ में माने NITISH और NAIDU BY ANKIT AVASTHI SIR

Ankit Ins... 4.01M... Join Subscribed 29K Share Download

बजट 2024

इस हफ्ते अब तक 175 अंक गिरा सेंसेक्स

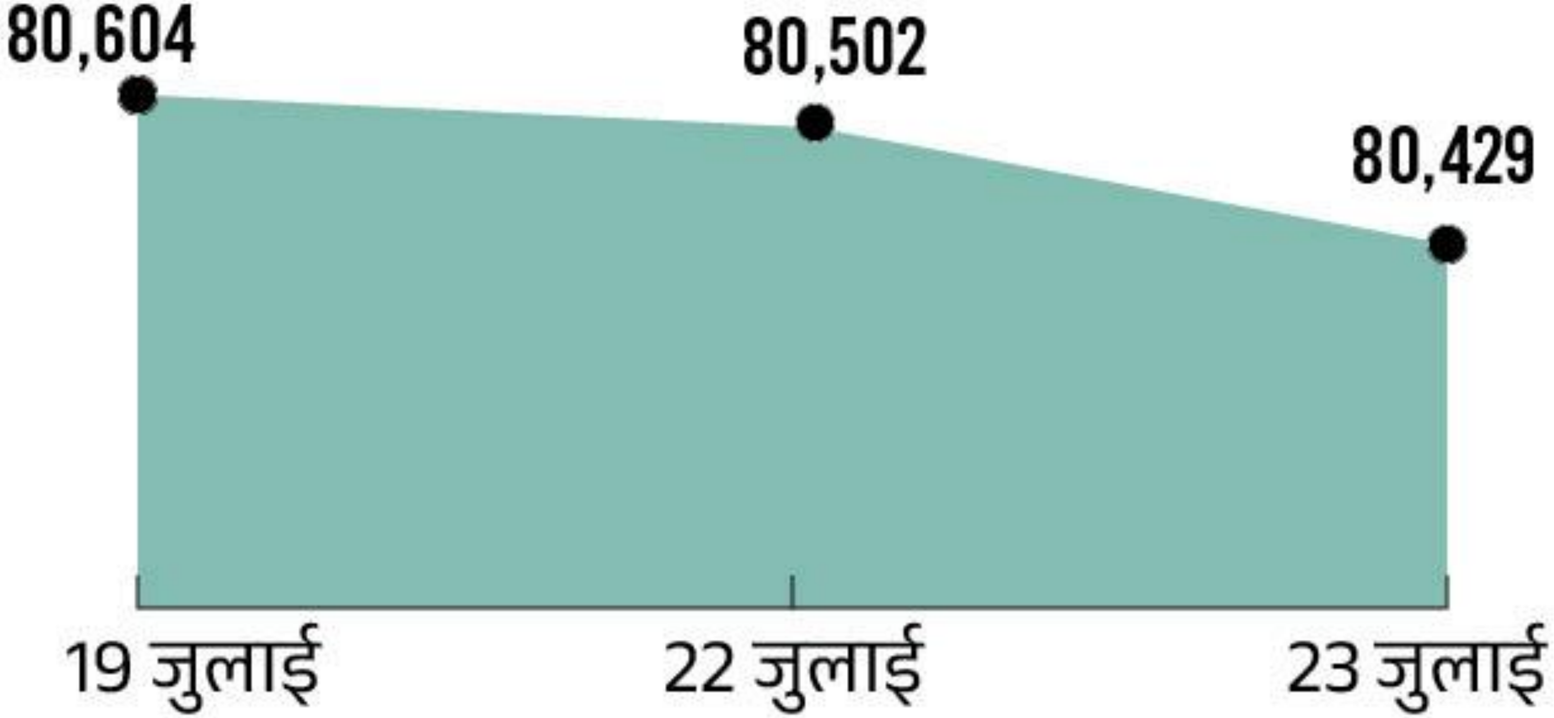

बजट में सरकार ने शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है। इससे सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1,278 अंक गिरकर 79,224 पर पहुंच गया। बाद में रिकवरी देखने को मिली ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 पर पहुंच गया था। मार्केट बंद होने के पहले इसने भी रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 में तेजी, 29 में गिरावट रही। एक में कोई बदलाव नहीं हुआ।

रिसर्च एनालिस्ट निखिल भट्ट ने कहा कि सरकार ने बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है।

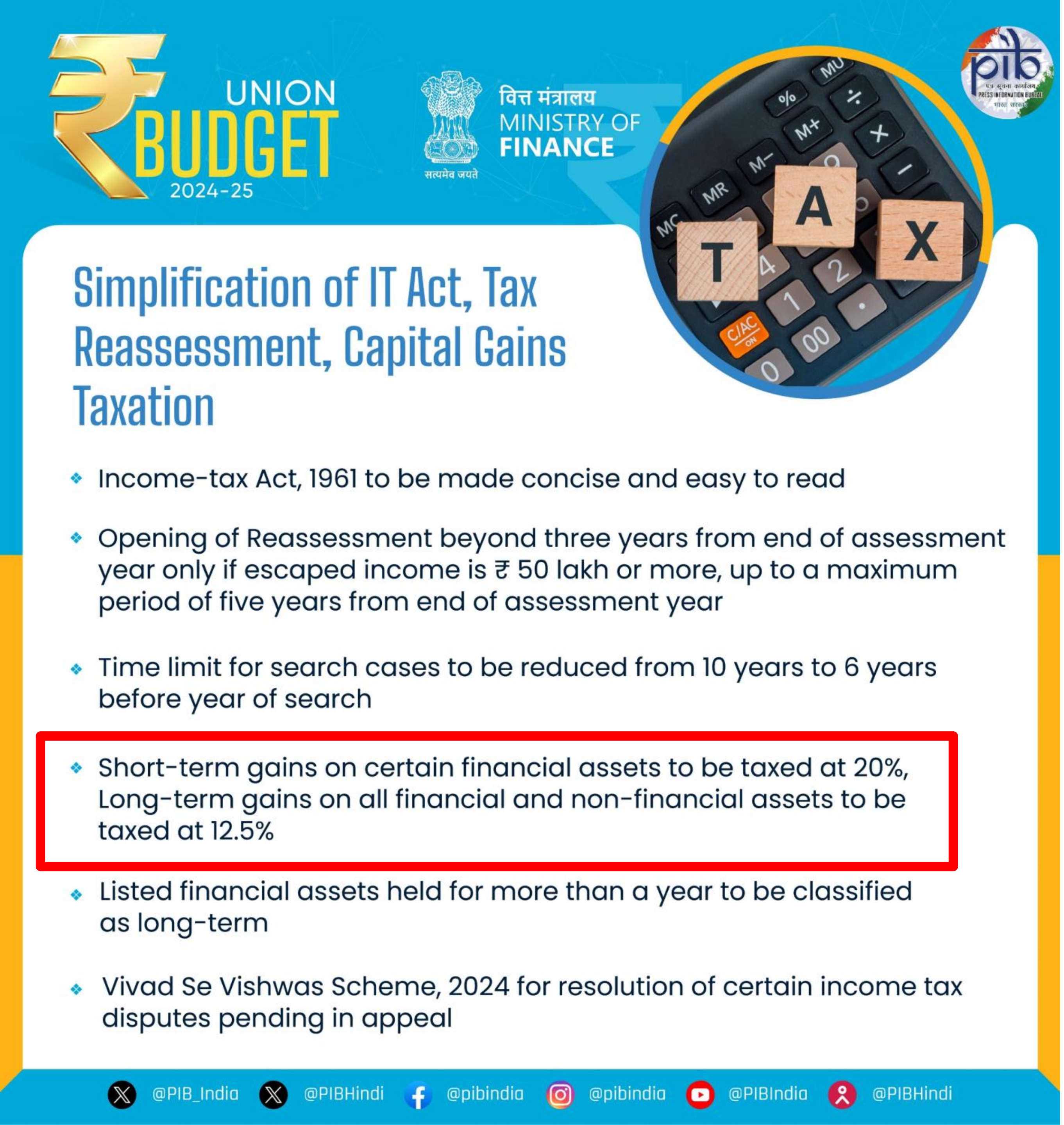

PIB India
@PIB_India

🔰 Over 58% corporate tax receipts collected under the new regime

🔰 Two third of individual income tax payers switched over to new income tax regime

🔰 Angel tax abolished for all class of investors to boost start-ups and investments

🔰 Corporate tax on foreign companies reduced from 40 to 35% to invite investments

Read more: pib.gov.in/PressReleasePa
...

#UnionBudget2024
#BudgetForViksitBharat
#Budget2024

3:59 PM · Jul 23, 2024 · **5,404** Views

- क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स?

कैपिटल से हुए प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है.

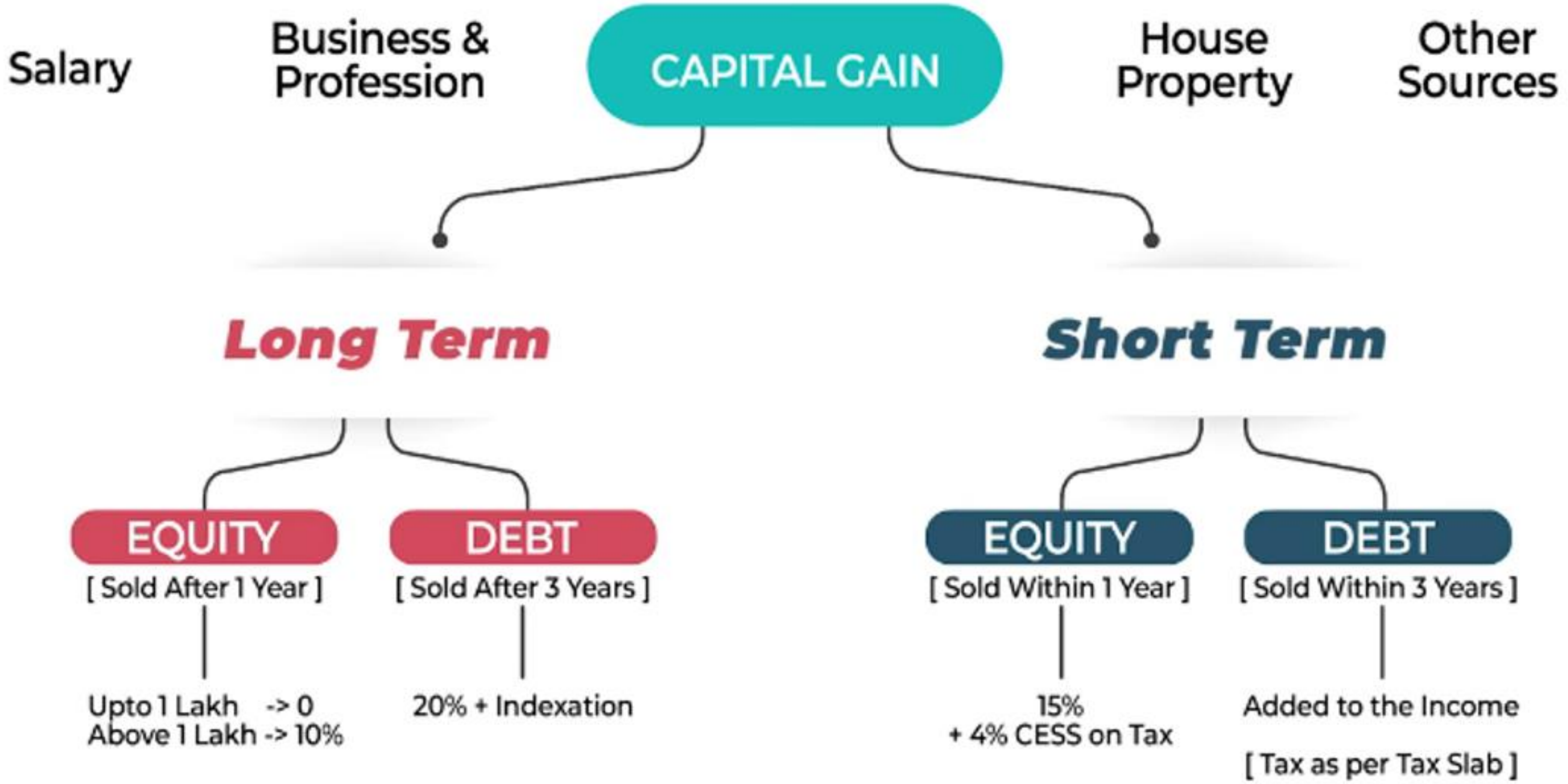

Debt Capital	Equity Capital
Definition	
Debt Capital is the borrowing of funds from individuals and organisations for a fixed tenure.	Equity capital is the funds raised by the company in exchange for ownership rights for the investors.
Role	
Debt Capital is a liability for the company that they have to pay back within a fixed tenure.	Equity Capital is an asset for the company that they show in the books as the entity's funds.
Duration	
Debt Capital is a short term loan for the organisation.	Equity Capital is a relatively longer-term fund for the company.
Status of the Lender	
A debt financier is a creditor for the organisation.	A shareholder is the owner of the company.

Types	
Debt Capital is of three types: •Term Loans •Debentures •Bonds	Equity Capital is of two types: •Equity Shares •Preference Shares
Risk of the Investor	
Debt Capital is a low-risk investment	Equity Capital is a high-risk investment
Payoff	
The lender of Debt Capital gets interest income along with the principal amount.	Shareholders get dividends/profits on their shares.
Security	
Debt Capital is either secured (against the surety of an asset) or unsecured.	Equity Capital is unsecured since the shareholders get ownership rights.

कैपिटल गेन टैक्स छूट लिमिट भी बढ़ी

कैपिटल गेन टैक्स को लेकर बजट में सरकार ने बड़ा ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के साथ ही कैपिटल गेन टैक्स लिमिट भी बढ़ा दी है. अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये सालाना थी. यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होगा.

अभी कितना लगता है कैपिटल गेन टैक्स

शेयर बाजार में कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगता है. अगर किसी स्टॉक को 1 साल के भीतर बेचा जाता है तो उसपर हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है. वहीं, स्टॉक 1 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

History of capital gains tax on listed equity in India

HOW IT STARTED?

Introduced in 1946-47 but made permanent by **T. T. Krishnamachari** in 1956 with a few tweaks

1947

Capital gains	Approximate tax rate
Upto ₹15,000	**Exempt**
₹15,000 to ₹50,000	**6.3%**
₹50,000 to ₹2 lakh	**12.5%**
₹2 lakh to ₹5 lakh	**18.8%**
₹5 lakh to ₹10 lakh	**25.0%**
More than ₹10 lakh	**31.3%**

Exemption limit as a multiple of per-capita income then (15,000/265) **57 times**

HOW IT'S GOING

Today

Capital gains	Tax rate
LTCG up to ₹1 lakh	**Exempt**
LTCG after ₹1 lakh	**10%**
STCG	**15%**

Per-capita income per annum in 1950-51^^ **₹265**

Per-capita income per annum in 2021-22 **₹1.5 lakh**

At a multiple of 57, the exemption limit today should be (57*₹1.5 lakh) **₹85.5 lakh**

mint

mint

Timeline of tax treatment of capital gains and dividend from stocks

1992

Manmohan Singh

INTRODUCED indexation benefits for capital gains and special tax rate of 20% for LTCG

LTCG: 20% with indexation
STCG: Slab rate
Dividend: Taxed in the hands of shareholders at slab rate

1997

P. Chidambaram

ABOLISHED dividend tax in the hands of shareholders and introduced DDT^

LTCG: 20% with indexation
STCG: Slab rate
Dividend: Exempt for shareholders

1999

Yashwant Sinha

TAX on LTCG capped at 10%

LTCG: 20% with indexation or 10% w/o indexation
STCG: Slab rate
Dividend: Exempt for shareholders

2002

RE-INTRODUCED taxing dividends in the hands of shareholders

Yashwant Sinha

LTCG: 20% with indexation or 10% w/o indexation
STCG: Slab rate
Dividend: Taxed in the hands of shareholders at slab rate

2003

Jaswant Singh

BACK to tax-free status for dividends earned by shareholders

LTCG: 20% with indexation or 10% w/o indexation
STCG: Slab rate
Dividend: Exempt for shareholders

2004

EXEMPTED long-term capital gains and introduced Securities Transaction Tax
Taxed STCG at a flat rate of 10%

P. Chidambaram

LTCG: Exempt
STCG: 10%
Dividend: Exempt for shareholders

2016

Arun Jaitley

10% tax on dividend income exceeding ₹10 lakh per annum

LTCG: **Exempt**
STCG: **15%**
Dividend: 10% for dividends more than ₹10 lakh pa

2008

TAX rate on STCG raised to **15%**

P. Chidambaram

LTCG: **Exempt**
STCG: **15%**
Dividend: Exempt for shareholders

2018

RE-INTRODUCED long-term capital gains tax on equity

Arun Jaitley

LTCG: **10%** on gains above ₹1 lakh
STCG: **15%**
Dividend: 10% for dividends more than ₹10 lakh pa

2020

Nirmala Sitharaman

MADE dividends taxable in the hands of shareholders.

LTCG: **10%** on gains above ₹1 lakh
STCG: **15%**
Dividend: Taxed in the hands of shareholders at slab rate

GRAPHIC: PARAS JAIN/MINT

#LTCG: Long term capital gain; STCG: Short term capital gain; *Period of holding for listed equity has always been 1 year to be treated as long-term capital gain; ^^1950-51 is the closest verified per-capita income details available to the year 1947; ^Dividend Distribution Tax

Source: Economic Survey 2021-22 (advance estimates for 2021-22); Inputs from Dipen Mittal, a Chartered Accountant from Taxmann; Budget documents

फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ाने का भी ऐलान

बजट में सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर STT को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। वहीं, ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्तिक गुप्ता का कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर छोटे निवेशकों के बढ़ते रुझान और उसमें उन्हें हो रहे घाटे पर सरकार ने संज्ञान लिया है। इसलिए ऐसे निवेशकों को डिमोटिवेट करने के लिए इस बजट में STT को बढ़ाने की घोषणा की गई है।

What is Securities Transaction Tax (STT)?

Samco Knowledge Center

What is Security Transaction Tax?

STT or Security Transaction Tax is a type of tax that is charged on the purchase and sale of securities like stocks, mutual funds, and derivatives on recognized stock exchanges in India. The STT is a direct tax, meaning that it is levied directly on the transaction value of securities. This means that the STT is an additional cost that buyers and sellers have to bear, making the transaction more expensive.

The STT is governed by the Securities Transaction Tax Act, which lists the various types of securities transactions that are taxable. These include equity, derivatives, and unit of equity-oriented mutual funds. STT also applies to unlisted shares sold under an offer for sale to the public that is subsequently listed on stock exchanges.

The rate of STT is decided by the government and can be modified from time to time. The buyer or seller of securities is responsible for paying the STT, depending on the value of the transaction.

The STT is collected by recognized stock exchanges or prescribed persons, such as mutual funds or lead merchant bankers, who must pay it to the government on or before the 7th of the following month. If they fail to collect the taxes, they must still discharge an equivalent amount of tax to the credit of the Central Government within the 7th of the following month. Failure to collect or remit the tax can result in interest and penalties

Futures & Options Strategies

फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है?

फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (F&O) दरअसल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें निवेशकों को सहूलियत मिलती है कि वे कम पूंजी के साथ किसी स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी में बड़ी पोजिशन ले सकते हैं। इसमें जितना ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश रहती है, जोखिम भी उतना अधिक होता है। यही वजह है कि इसमें कभी तेजी से पैसों का महल बनता है, तो कई बार आपका पैसों का महल रेत की तरह ढह भी जाता है।

फ्यूचर्स और ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अपनेआप में कोई वैल्यू नहीं। अब जैसे कि आप किसी शॉप में बर्गर ऑर्डर करते हैं, जिसका दाम 200 रुपये हो। वहां आपको एक टोकन मिल जाए, जिसे काउंटर पर देकर आप बर्गर ले सकें। मतलब कि वह टोकन डेरिवेटिव है, जिसकी अपनी कीमत कुछ नहीं, लेकिन आप वहां उससे 200 रुपये का बर्गर खरीद सकते हैं।

यही चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी है। जब भी आप इसके माध्यम से कोई शेयर लेते हैं, तो यह डेरिवेटिव उस शेयर की वैल्यू के बराबर हो जाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट एक तय अवधि के लिए जारी होते हैं और इस दौरान इनका दाम शेयर की प्राइस के हिसाब से बदलता रहता है।

2023 में भारतीय निवेशकों ने 85 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार किया

देश	ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग का CAGR	2023 में ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स (करोड़ में)
भारत	52.4%	8530
अमेरिका	10.7%	1120
ब्राजील	10.2%	240
कनाडा	9.7%	10
हॉन्ग-कॉन्ग	8.8%	20
ताइवान	4.9%	20
साउथ कोरिया	3.8%	80
रूस	1.3%	10
जर्मनी	0.9%	60
फ्रांस	-1.2%	10
ऑस्ट्रेलिया	-6.3%	10
UK	6.7%	0.0

CAGR- कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 2013 से 2023 के बीच
सोर्स: फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन

सेबी चेयरपर्सन बोलीं- घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही: बजट में F&O की कमाई पर 30% टैक्स की तैयारी, सरकार इसे स्पेकुलेटिव इनकम मानेगी

नई दिल्ली 3 दिन पहले

Buy-Back of Stocks

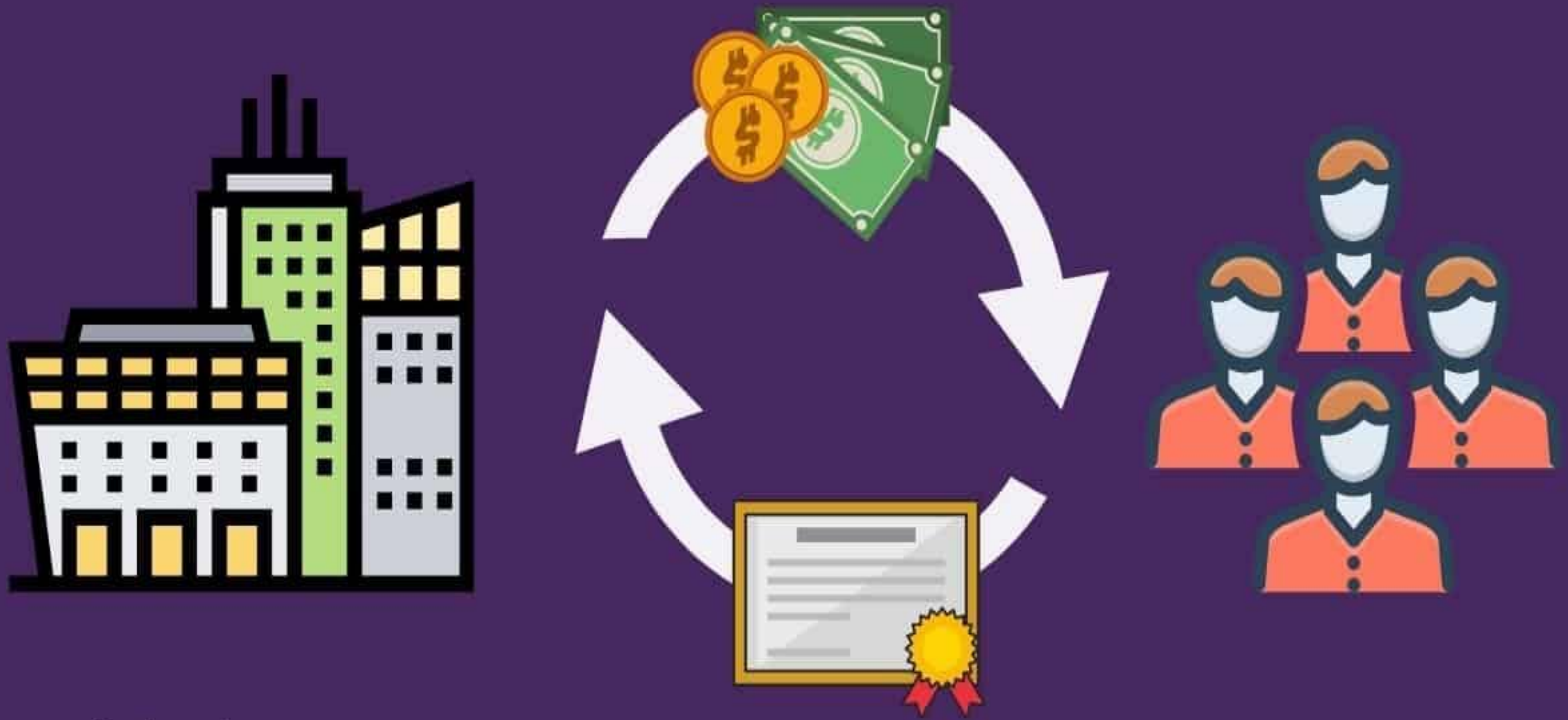

Union Budget: Amount paid on share buyback to be treated as dividend and taxed in hands of shareholders, says Nirmala Sitharaman

The cost paid by the shareholder to acquire these shares will be considered for computation of capital gains or loss to them.

Published - July 23, 2024 05:19 pm IST - New Delhi

PTI

Buyback

[ˈbī-ˌbak]

When a company buys its own outstanding shares to reduce the number of shares available on the open market.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद यानी बायबैक पर शेयरधारकों को मिलने वाले डिविडेंड के समान टैक्स लगाया जाएगा।

क्या होगा असर

- यह एक ऐसा कदम जिससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, इन शेयरों को हासिल करने के लिए शेयरधारक जिस राशि का भुगतान करेंगे, उसे उनके पूंजीगत लाभ या हानि की गणना में जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा- इक्विटी के लिए मैं प्राप्तकर्ता के हाथों में शेयरों के बायबैक से हुई आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं।
- यह प्रस्ताव है कि कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय को प्राप्तकर्ता निवेशक को मिले डिविडेंड के रूप में मानकर कर लिया जाए। वर्तमान व्यवस्था के तहत इसे कंपनियों को हुई अतिरिक्त आमदनी मानकर इस पर आयकर लगाया जाता है।

ग्राहकों से अपने शेयर वापस क्यों खरीद रही है paytm? क्या होता है शेयर बायबैक? Part-2 | #BBK

133K views • 1 year ago

Baaten Bazar Ki (BBK) 550K subscribers

Part-2 | BBK by **Ankit Sir** Baaten Bazar Ki (बातें बाजार की (BBK)) is an initiative Ankit Inspires India (Ankit Avasthi ...

Financial safety tips
Learn how to stay safe online with tips from the government of India
Learn more

ग्राहकों से अपने शेयर वापस क्यों खरीद रही है paytm? क्या होता है शेयर बायबैक? Part-2 | #BBK

देश में स्टार्टअप्स को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'एंजेल टैक्स' को सभी तरह के निवेशकों के लिए खत्म करने का ऐलान किया है। यह फैसला देश में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप्स में सभी तरह के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर रही है। एंजेल टैक्स मनमोहन सिंह सरकार 2012 में लाई थी। तब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे।

एंजेल टैक्स क्या होता है?

जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी (जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं है) निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को 'एंजेल टैक्स' कहा जाता है। यह टैक्स उस प्रीमियम पर लगता है जो निवेशक शेयरों के वास्तविक मूल्य से ज्यादा चुकाते हैं। इसे अक्सर 'अन्य स्रोतों से आय' माना जाता है। उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।

UNION BUDGET 2024-25

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
सत्यमेव जयते

Promoting Investment, Employment & Social Security

- Angel tax for all classes of investors to be abolished, to bolster Indian start-up eco-system
- Corporate tax rate on foreign companies to be reduced to 35%
- Simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country
- Safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country
- Deduction of expenditure by employers towards NPS to be increased from 10% to 14% of employee's salary
- Similar deduction up to 14% of salary from income of employees in private sector, public sector banks and undertakings, opting for the new tax regime

HALWA CERERMONY BUDGET 2024: बजट से पहले Halwa Ceremony का क्या है इतिहास ? by...

69K views • 6 days ago

HALWA CERERMONY BUDGET 2024: बजट से पहले Halwa Ceremony का क्या है इतिहास ? by Ankit Avasthi Sir

Baaten Bazar Ki (BBK)
550K subscribers

Subscribed | 2.7K | Share | Download

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
Subject
HISTORY ,POLITY
GEOGRAPHY
ECONOMICS
Price
1499/-
Validity
1 Year
By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Title: ______ Date: __/__/____

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खंबान कहते हैं।
→ यह नदी भारत में प्रवेश करती है।
→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
→ पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर
पंचनद
→ सिंधु से पचंनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद
i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

Title: ______ Date: __/__/____

बेरिनाग झील से होता है।
* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौविहन परियोजना है।
→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्चा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित है।
उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार
→ यह सिंधु नदी की सबसे बडी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।
→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

Title: ________ Date: __/__/____

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3). दोलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :-
यह सिद्धान्त डॉ. एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीडित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) :
यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक एलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिण्ड के विस्फोट के पश्चात अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

Title: ________ Date: __/__/____

तारों का निर्माण : तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है।

सौरमण्डल
सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5 % हीलियम व 2.5 % अन्य तत्व विद्यमान है। सूर्य का केन्द्रीय भाग क्रोड (Core) कहलाता है।

→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।

→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सैकेण्ड का समय लगता है।

→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹

1999

4

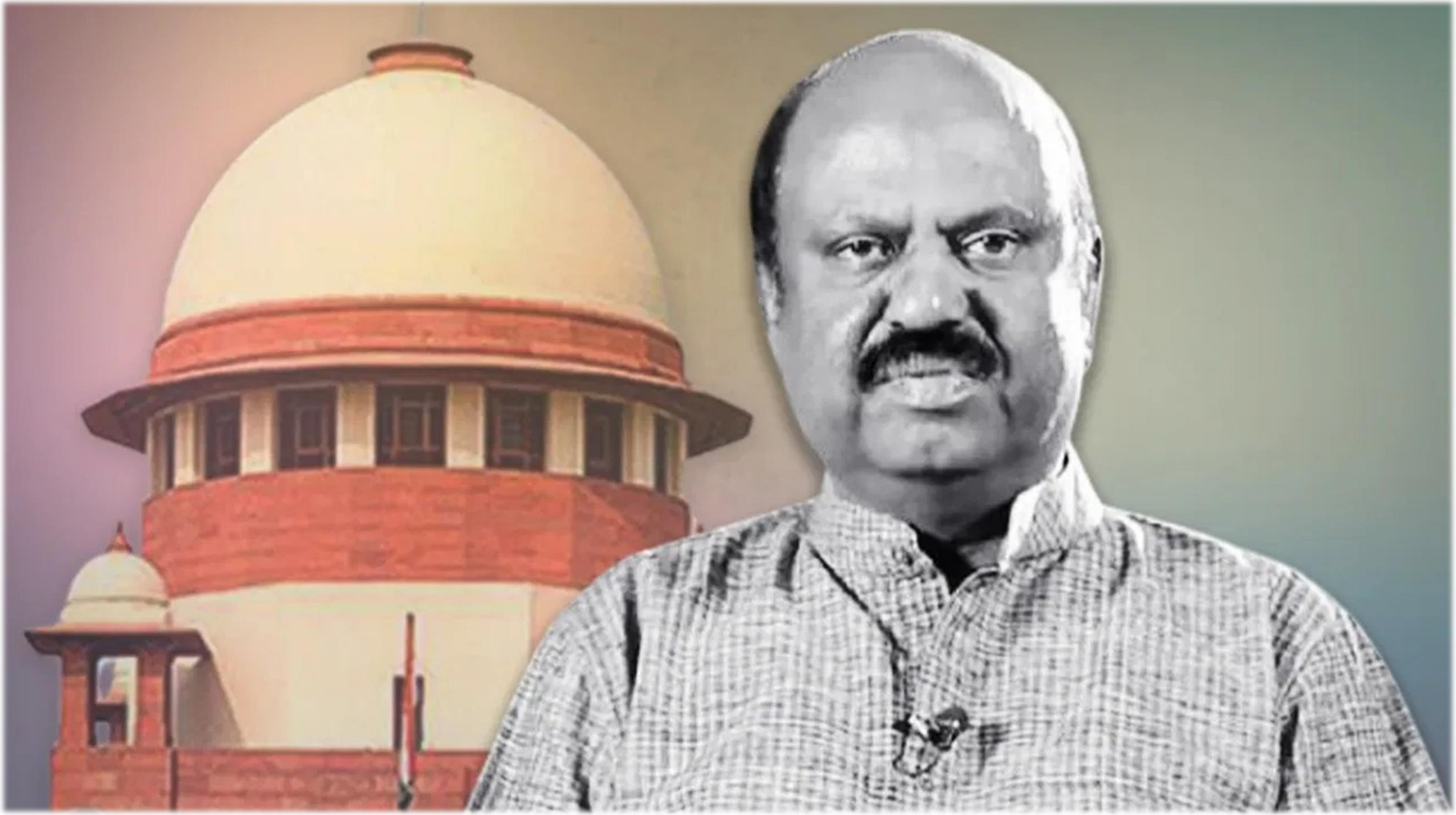

The Indian Express

What is Governor's immunity under Article 361, set to be reviewed by Supreme Court?

A three-judge SC Bench took up the issue of Governor's immunity after a contractual employee of the West Bengal Raj Bhavan moved a petition...

1 day ago

Business Standard

SC to examine governor's immunity in molestation case: What is Article 361?

Governor's legal immunity in India: West Bengal molestation row: Raj Bhawan staff member has accused Governor CV Ananda Bose of sexual...

4 days ago

The Hindu

Supreme Court agrees to examine constitutional provision granting immunity to Governors

The Supreme Court on July 19 agreed to examine the contours of Article 361 of the Constitution which grants "blanket immunity" to governors...

4 days ago

Times of India

Supreme Court to examine if governors are immune from criminal cases

India News: NEW DELHI: For the first time, Supreme Court will test the constitutional validity of immunity from criminal proceedings...

Akashvani

Search

WB: SC To Examine Article 361 Granting Immunity To Governors

Historic! India's top court to hear plea challenging governor's immunity in sexual assault case

New Delhi • Edited By: Vikrant Singh • Updated: Jul 19, 2024, 08:01 PM IST

Supreme Court of India (File photo) Photograph:(Agencies)

FOLLOW US

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गया है, जिसने राज्यपाल (सी.वी. आनंद बोस) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
- याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्य के राज्यपाल को दी गई छूट को चुनौती दी गई है ।

On 19th July, the Supreme Court, agreed to examine the scope of Article 361 of the Indian Constitution, which provides "blanket immunity" to State governors from any form of criminal prosecution. This development came in response to a plea by a contractual woman employee who has accused the West Bengal Governor, C.V. Ananda Bose, of molestation. The employee is seeking judicial scrutiny of the constitutional provision that grants such immunity.

बंगाल पुलिस के 4 दावे

1. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिला को मदद का भरोसा दिया और विदेश मंत्रालय से भी संपर्क करने को कहा।
2. जनवरी 2023 में राज्यपाल की तरफ से ओडिसी डांसर को दिल्ली आने-जाने के लिए फ्लाइट्स के टिकट दिए गए थे।
3. राज्यपाल के एक रिश्तेदार ने 5 और 6 जनवरी के लिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में डांसर के लिए कमरा बुक कराया।
4. बोस तब दिल्ली के बंग भवन में रह रहे थे। आरोप है कि राज्यपाल ने होटल जाकर महिला के साथ बदसलूकी की।

“

वह (पीड़ित) राजभवन में काम करती है। इस तरह की एक नहीं, हजारों घटनाएं मुझे पता चलीं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यह मामला अलग है। राज्यपाल ने उसका एक नहीं, दो बार यौन शोषण किया। मैंने उसके आंसू देखे हैं। वह कह रही है कि कभी राजभवन में काम नहीं करेगी। वह डरी हुई है।

गवर्नर आनंद बोस पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

गवर्नर ने 28 जून को सीएम ममता पर मानहानि केस किया:

ममता की इस टिप्पणी पर गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया। बोस ने अपने ऊपर गलत टिप्पणियों को लेकर ममता की आलोचना की।

3 जुलाई को मामले पर पहली बार सुनवाई होनी थी। हालांकि, उस दिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मीडिया हाउस की रिपोर्ट मानहानि का आधार थी, उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर, सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई।

4 जुलाई को राज्यपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी और अगली तारीख 10 जुलाई तय की। 10 जुलाई को जस्टिस कृष्ण राव ने मानहानि की याचिका को अपनी कोर्ट में रजिस्टर करने की इजाजत दी।

15 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई थी। तब ममता बनर्जी अपने बयान पर कायम रहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने यहां राजभवन में जाने को लेकर डर जताया था। ममता ने कहा कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं है।

मुझ पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप बेबुनियाद है। सत्य की ही जीत होगी। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा उठाना चाहता है तो भगवान उसका भला करे। मैं भ्रष्टाचार-हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहूंगा।

डॉ. आनंद बोस
गवर्नर, पश्चिम बंगाल

हाईकोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका

> अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते।
>
> **कलकत्ता हाईकोर्ट**

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तीन अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते।

राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक”

संविधान के आर्टिकल 361 के तहत मौजूदा गवर्नर के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राजभवन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें गवर्नर बोस ने राजभवन में पुलिस की एंट्री बैन कर दी है। बोस का कहना है कि इलेक्शन के दौरान अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस गैरकानूनी ढंग से जांच कर सकती है

आनंद बोस बोले- सीएम-गवर्नर की लड़ाई में जनता का नुकसान

बंगाल गवर्नर ने मंगलवार (16 जुलाई) को हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा, 'मैंने ममता बनर्जी को हमेशा सम्मान देने की कोशिश की है। हालांकि, उन्होंने जो टिप्पणी की, मुझसे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नफरत की इस राजनीति को रोकना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव भरे संबंध होंगे, तो नुकसान लोगों को होगा।'

हालांकि, ममता के वकील ने संजय बासु ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को हाईअर बेंच के सामने चुनौती देंगे। संजय बासु के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। एक जन प्रतिनिधि और एक महिला के रूप में वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हैं। वह महिलाओं की पीड़ा और शिकायतों से बेखबर नहीं रह सकती हैं।'

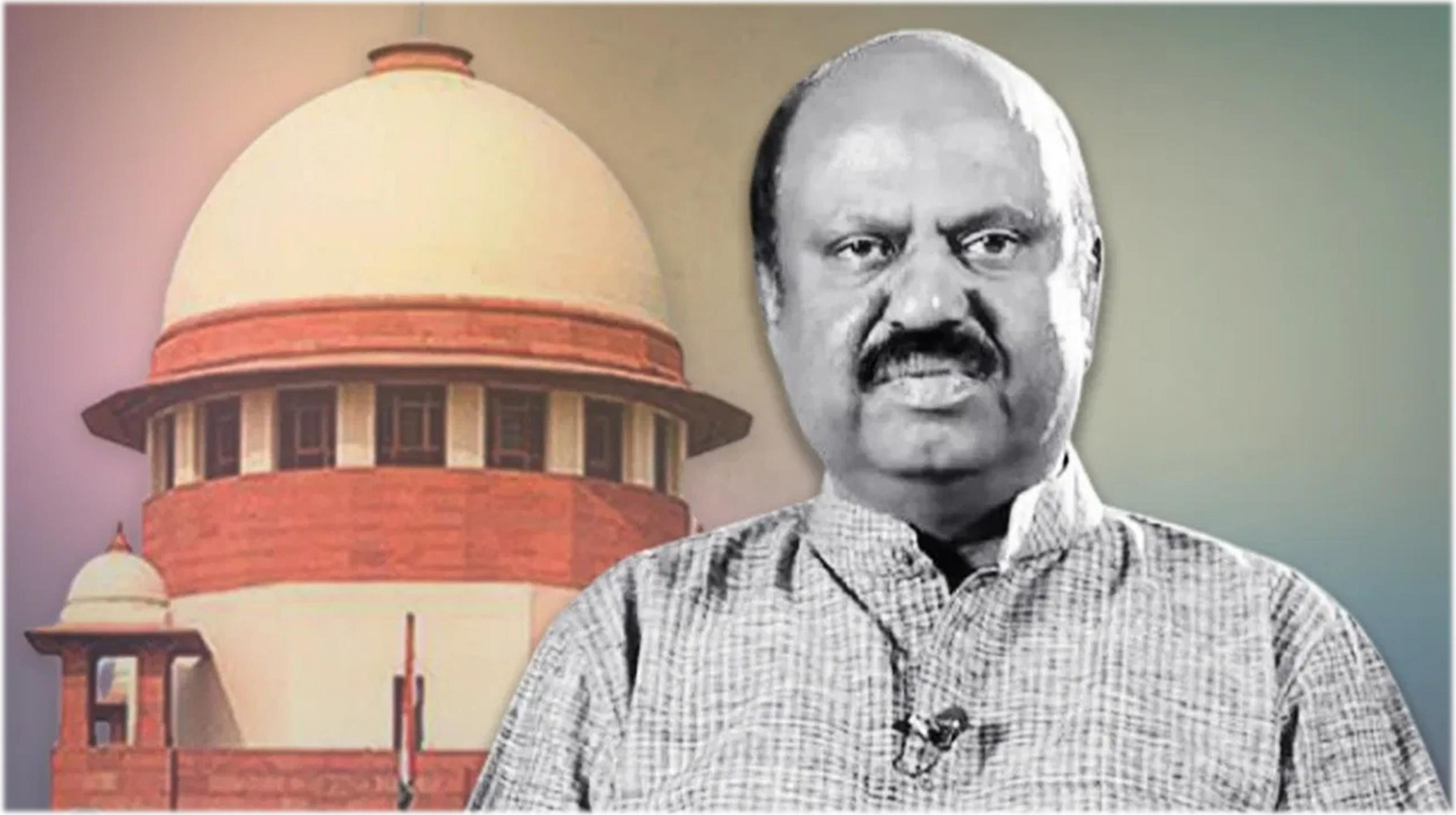

The matter reached the Supreme Court after the Calcutta High Court issued a temporary stay on a probe by the state's police against the Officer-On-Special Duty (OSD) of the Governor. The woman petitioner argues that the immunity granted under Article 361 requires judicial interpretation and limitations to prevent its misuse.

महिला की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में क्या कहा ?

शुरुआत में, न्यायिक रिकॉर्ड से नाम हटाए जाने वाली महिला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जांच ही न हो। अभी सबूत जुटाए जाने चाहिए। राज्यपाल के पद छोड़ने तक इसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता।" याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 361 के खंड 2 के तहत राज्यपालों को दी गई छूट जांच पर रोक नहीं लगा सकती और इसके अलावा, ऐसी जांच में समय का महत्व है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से मिलने वाली छूट के बारे में विशिष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

पीठ ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करने के अपने आदेश में कहा, "याचिका संविधान के अनुच्छेद 361 के खंड (2) के तहत राज्यपाल को दी गई सुरक्षा के दायरे से संबंधित मुद्दा उठाती है।"

A bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud issued a notice to the West Bengal government concerning this plea. The top court also requested the assistance of Attorney General R. Venkataramani in addressing the constitutional question at hand. Additionally, the bench directed the woman employee of the West Bengal 'Raj Bhavan' to include the Centre as a party to her plea.

Article 361 of the Constitution, an exception to Article 14 which guarantees the right to equality, stipulates that the President or a Governor is not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of their office. The petitioner is seeking directions to establish specific guidelines delineating the extent of the immunity enjoyed by governors from criminal prosecution.

WHAT ARE THE ARGUMENTS PRESENTED?

Petitioner's Arguments

- **Limited Immunity: The immunity should not protect governors from being prosecuted for illegal acts or violations of fundamental rights.**
- **Need for Guidelines: The petitioner seeks clear guidelines and qualifications on when and how immunity can be exercised by governors.**
- **Justice for Victims: The petitioner emphasizes the need for remedies for victims of harassment, even when the accused holds a high office.**

Defense Arguments

- **Constitutional Protection:** The defense argues that the immunity provided is essential for the governor to perform official duties without fear of litigation.

- **Legal Precedents:** Past legal precedents support the need for protecting high officials from prosecution to ensure the smooth functioning of governance.

What are Immunities Provided to the Governor under Article 361?

Origin of Governer's Immunity:

- **It is linked to the Latin maxim "rex non potest peccare," or "the king can do no wrong".**
- **During the Constituent Assembly's discussion on Article 361, member H V Kamath questions the extent of criminal immunity for the President and Governors, particularly regarding the initiation of proceedings against them for criminal acts.**
- **Despite these concerns, the article was adopted without further debate.**

WHAT DOES ARTICLE 361 OF THE CONSTITUTION STATE?

Article 361 of the Constitution that deals with immunity to the President and the Governors. It states that they shall not be answerable:

Clause (1): The President or Governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office.

Clause (2): No criminal proceedings shall be instituted or continued against the President or Governor in any court during their term of office.

Clause (3): No process for the arrest or imprisonment of the President or Governor shall issue from any court during their term of office.

Clause (4): No civil proceedings in which relief is claimed against the President or Governor shall be instituted during their term of office in respect of any act done or purported to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered his office, until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to him.

Historical context and precedents:

In the landmark case of Rameshwar Prasad v. Union of India, the Court elaborated on the immunities granted to the governor, affirming that even allegations of personal malafides do not diminish this immunity. The ruling established that the governor is fully shielded under Article 361 not only from criminal complaints but also from actions related to the discretionary powers exercised in their constitutional role.

Supreme Court Verdict on the Rameshwar Prasad Case:

Constitution Bench led by the then Chief Justice of India Y K Sabharwal delivered a decisive verdict on October 7, 2005.

The Supreme Court ruled that the Governor should avoid getting involved in controversies like disqualifying members of the Legislative Assembly. Therefore, the Constitution includes provisions such as Article 192(2) and Article 103(2), which require the Governor to seek the opinion of the Election Commission and act

The court criticized the Governor's actions as insincere and claimed that the underlying motive was to prevent a political party from attempting to form the Government.

Rameshwar Prasad v. Union of India (2006)

Facts –

This case an election dispute case. The Bihar Legislative Assembly elections were conducted in 2005 by the ECI & the results were subsequently declared. There were a total of 243 seats and none of the parties in the election maintained a simple majority. Subsequently, the President gave an order dissolving the Assembly, writ petition was filed under A 32.

Issues –

Whether the Bihar Legislative Assembly can be dissolved under Article 174(2)(b) of the Constitution prior to its first meeting?

Whether Presidential Order was unconstitutional?

Judgment –

The court held that the dissolution of the Bihar Legislative Assembly by the President through the Presidential Order was unconstitutional and an excessive use of power.

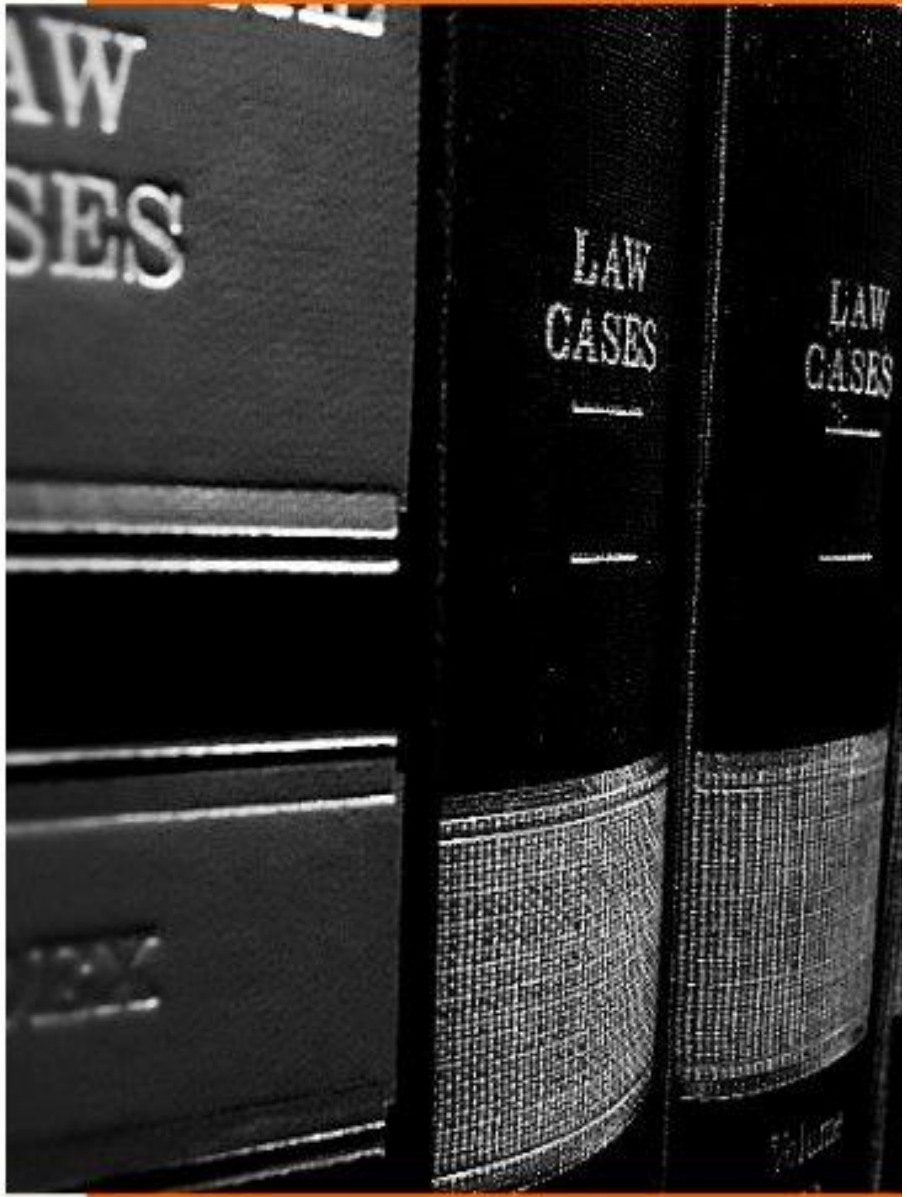

Madhya Pradesh High Court, 2015: In the Vyapam scam case, the court ruled that Governor Ram Naresh Yadav had "absolute protection" under Article 361(2) from malicious publicity while in office.

His name was removed from the investigation to prevent undue legal harassment, maintaining the integrity of the office.

State of UP vs. Kalyan Singh Case, 2017: The Supreme Court held that Kalyan Singh, then Governor of Rajasthan, was entitled to immunity under Article 361 while in office.

Charges related to the Babri Masjid demolition would proceed once he ceased to be Governor, reinforcing the protection of the Governor's duties and dignity.

Telangana High Court Judgment (2024): In this, HC observed that “there is no express or implicit bar in the Constitution which excludes the power of judicial review in respect of an action taken by the Governor”.

WHAT IS THE ROLE OF THE SUPREME COURT?

The Supreme Court's role is to interpret the extent of immunity granted to governors under Article 361 of the Constitution and decide whether it should protect against allegations of sexual harassment. The court seeks to balance the need for official immunity with the principles of justice and accountability.

SANSAD TV
राज्यपाल

राज्यपाल

परिचय

- केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- राज्यपाल राज्य के मुखिया (मुख्यमंत्री) की सलाह से कार्य करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- सामान्यत: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्त हो सकता है।
- राष्ट्रपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिये पुन: नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रहता है।

योग्यताएँ

- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो।
- वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

राज्यपाल पद से संबंधित चुनौतियाँ

- राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिलक्षित होती है।
- ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है अर्थात् राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद का सुझाव मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी अत्यंत विवादस्पद है।
- केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें होने की स्थिति में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जाता है।

राज्यपालों की भूमिका पर समितियाँ व आयोग

केंद्र-राज्य संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो समितियाँ गठित की जा चुकी हैं-

- 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग
- 1969 में राजमन्नार समिति
- 1970 में भगवान सहाय समिति
- 1988 में सरकारिया आयोग
- 2011 में पुंछी आयोग

समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
- विधानसभा में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।

Governor

Eligibility Criteria
- Must be a **citizen of India**
- At least **35 years** of age
- Must **not be a member of (either) house** of Parliament/State Legislature
- Must not hold any **office of profit**

'Dual Capacity'
- **Constitutional head of the state** and **Representative of the Union government**

Appointment and Tenure (Part VI)
- Appointed by President **(Article 153)**
- One person can be appointed as Governor for **2+ States (7th Const. Amendment in 1956)**
- Holds the office at the **Pleasure of the President** (maximum **5 years**)

Ending Tenure before 5 Years
- **Dismissal by President** (on advice of the Council of Ministers headed by PM)
  - Dismissal of governors without a valid reason is not permitted
- On grounds of **acts upheld by courts as unconstitutional** and malafide
- **Resignation** by the governor

Powers (Part VI)
- Article 161: **Pardoning powers**
- Article 164: Power to **appoint the CM and other Ministers**
- Article 176: **Special Address** by Governor
- Article 200: Power to **(withhold) assent/reserve a bill** (Legislative Assembly)
- Article 213: Power to **promulgate Ordinances**

Responsibilities
- **Appoints** – CM, other Ministers, Advocate General of State, Members of State PSC, judges of HC and districts
- Act as **ex-officio chancellor** of state Universities

भारत में राज्यपाल की भूमिका क्या है?

कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान:

राज्यपाल के पद से संबंधित सभी बातें (नियुक्ति, शक्तियां, आदि) भारतीय संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162) के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। ये अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य, कार्यकाल आदि से संबंधित हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद राज्यपाल के लिए महत्वपूर्ण हैं:

अनुच्छेद 153 (Governors of States): इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है।

अनुच्छेद 154 (Executive power of State): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह इस शक्ति का उपयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं।

अनुच्छेद 155 (Appointment of Governor): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अनुच्छेद 156 (Term of office of Governor): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है। हालांकि, राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं।

अनुच्छेद 157 (Qualifications for appointment as Governor): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

अनुच्छेद 158 (Conditions of Governor's office): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभकारी पद को धारण नहीं करना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।

अनुच्छेद 159 (Oath or affirmation by the Governor): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है, जो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है।

अनुच्छेद 160 (Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies): इस अनुच्छेद के अनुसार, जब राज्यपाल का पद रिक्त हो या राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करेगा।

अनुच्छेद 161 (Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल को विशेष मामलों में दया याचिका को स्वीकार करने, दंड को निलंबित करने, माफ करने या बदलने का अधिकार है।

अनुच्छेद 162 (Extent of executive power of State): इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के माध्यम से लागू होती है और यह उन सभी मामलों पर लागू होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।

Supreme Court to look at immunity to Governors under Article 361

Says Centre to be made party to petition, seeks A-G help too

Written by Ananthakrishnan G

New Delhi | Updated: July 20, 2024 07:21 IST

Follow Us

SAMSUNG

ADVERTISEMENT

Historic! India's top court to hear plea challenging governor's immunity in sexual assault case

New Delhi • Edited By: Vikrant Singh • Updated: Jul 19, 2024, 08:01 PM IST

Supreme Court of India (File photo) Photograph:(Agencies)

FOLLOW US

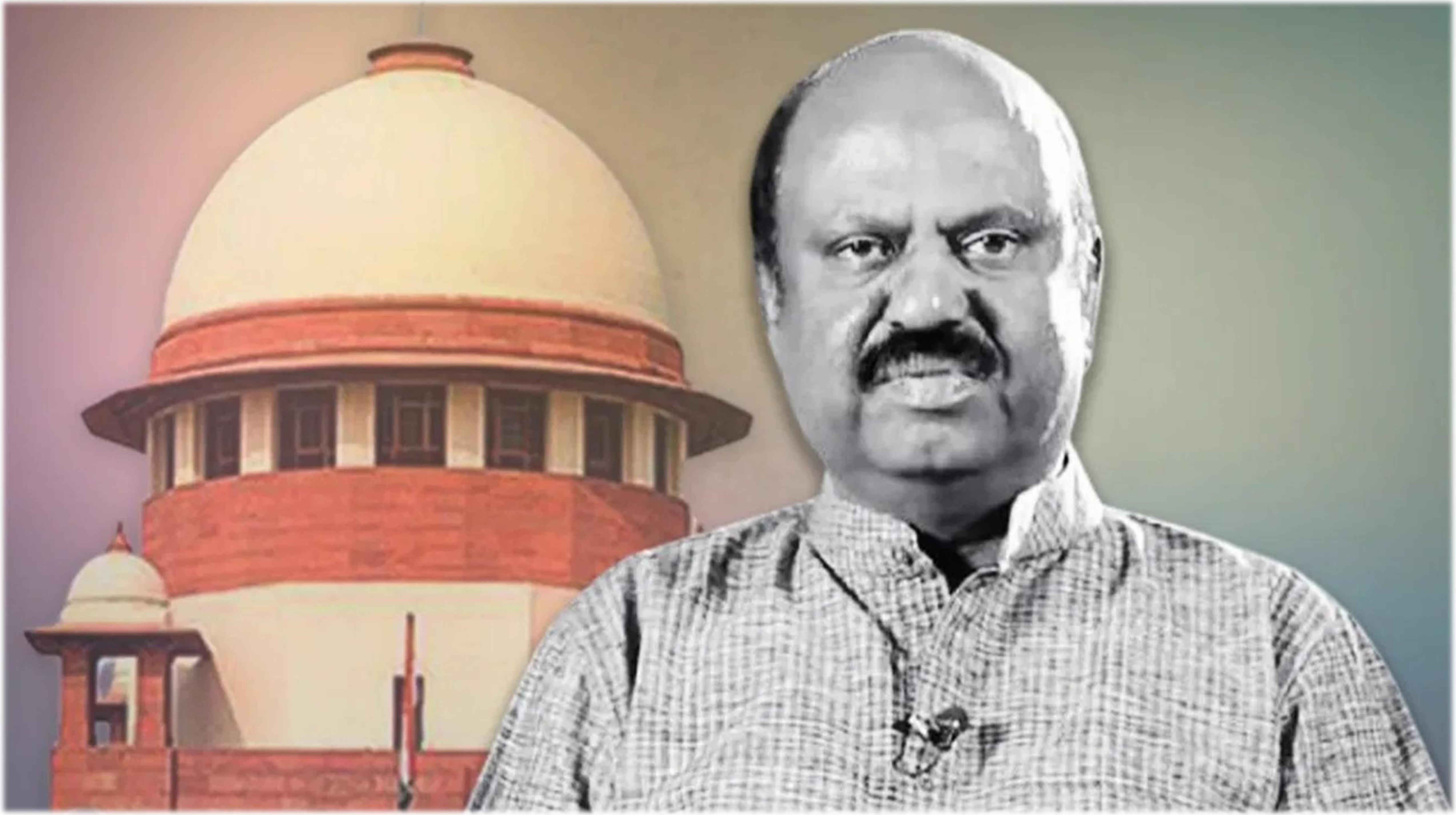

क्या चाहती महिला याचिकाकर्ता है?

तत्काल जांच की मांग: जांच आवश्यक है और इसे राज्यपाल के पद छोड़ने तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

- इसलिए, अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिरक्षा को जांच पर रोक नहीं लगानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी जांच की समय-संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए।
- विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करना: याचिका में विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट प्राप्त हो।

पूर्ण प्रतिरक्षा पर प्रश्न: याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति पूर्ण नहीं होनी चाहिए , जिससे अवैध कार्यों या संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों की अनुमति मिल सके।

- इसमें तर्क दिया गया है कि इस प्रतिरक्षा से अपराध की जांच करने या शिकायत या एफआईआर में अपराधी का नाम दर्ज करने की पुलिस की शक्तियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

PLEA SEEKS POLICE PROBE, PROTECTION

The plea also seeks an investigation by the West Bengal Police into the case, as well as protection for the woman and her family. Additionally, it calls for government compensation for the reputational damage she has suffered.

The woman, a contractual employee at Raj Bhavan, had reported to Kolkata Police that she was molested by Governor Ananda Bose at the governor's residence on April 24 and May 2.

She has accused Bose of staging a "ridiculous drama" to divert attention from his actions, emphasising that he should have provided CCTV footage from the premises at the start of the investigation.

IPS

ANI

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH
Subject
HISTORY ,POLITY
GEOGRAPHY
ECONOMICS
Price
1499/-
Validity
1 Year
By Ankit Avasthi Sir
Apni
Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

GA FOUNDATION
Hand Written Notes
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
Ankit Inspires India
₹ Only
1999
6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति
आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास
Latest Edition
MISSION I'M Possible
Ankit Kumar Avasthi
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882

Title: ____________ Date: __/__/____

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।
→ तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते है।
→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
→ पाकिस्तान में करांची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर
पंचनद
→ सिंधु से पचंनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद
i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

Title: ____________ Date: __/__/____

बेरिनाग झील से होता है।
* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौवहन परियोजना है।
→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्छा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (Confluence) से होता है।
→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित है।
उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार
→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।
→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

Title: ____ Date: __/__/____

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3). दोलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :- यह सिद्धान्त डॉ. एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीडित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) : यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक अलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिण्ड के विस्फोट के पश्चात अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

Title: ____ Date: __/__/____

तारों का निर्माण : तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है।

सौरमण्डल

सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5 % हीलियम व 2.5 % अन्य तत्व विद्यमान है। सूर्य का केन्द्रीय भाग क्रोड (Core) कहलाता है।

→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।

→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुचने में 8 मिनट 16.6 सेकेण्ड का समय लगता है।

→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹

1999

5

Arjun Ram Meghwal
@arjunrammeghwal

In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, Hon'ble President, after consultation with Hon'ble Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as
Supreme Court Judges:-

S. No.	Name of the Judge (S/Shri Justice)	Details
1.	**N. Kotiswar Singh,** Chief Justice, High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, [PHC: Manipur]	**Appointed as Judges of the Supreme Court of India**
2.	**R. Mahadevan,** Judge, Madras High Court	

Ministry of Law and Justice and PMO India

The Indian Express
https://indianexpress.com › India

Supreme Court gets two new judges, Justice N Kotiswar ...

7 days ago — The elevation of **Justices Kotiswar Singh** and R Mahadevan was approved only days after the SC Collegium recommended **both Judges** on July 1.

ndtv.com
https://www.ndtv.com › India News

Supreme Court Gets 2 New Judges, First From Manipur

Hindustan Times
https://www.hindustantimes.com › India news

Supreme Court welcomes two new judges, marks historic ...

5 days ago — **Justices N Kotiswar Singh** and R Mahadevan were on Thursday morning ... **Supreme Court gets 2 new judges**, its **first** from **Manipur**. The ...

The Hindu
https://www.thehindu.com › News › India

Kotiswar Singh, Mahadevan take oath as Supreme Court ...

5 days ago — **Justice Singh** is the **first Supreme Court judge** from **Manipur**. He was serving as the Chief **Justice** of the **High Court** for Jammu and Kashmir and ...

The Economic Times
https://m.economictimes.com › News › India

Justice N Kotiswar Singh takes oath: Supreme Court gets ...

5 days ago — His appointment marks a significant milestone, as he is the **first judge** from **Manipur** to be elevated to the **Supreme Court**. Acting Chief **Justice** ...

NDTV

Supreme Court Gets 2 New Judges, First From Manipur

The Supreme Court now has its sanctioned strength of 34 judges, including Chief Justice of India DY Chandrachud.

India News | Reported by Ashish Kumar Bhargava, Edited by Saikat Kumar Bose | Updated: July 16, 2024 2:59 pm IST

HT Hindustan Times

Supreme Court welcomes two new judges, marks historic first for Manipur

By Utkarsh Anand

Jul 18, 2024 11:25 AM IST

mint

Supreme Court gets two new judges, first from Manipur: All you need to know about N Kotiswar Singh and R Mahadevan

16 Jul 2024, 10:27 PM IST

President Droupadi Murmu on Tuesday cleared the appointment of two judges to the Supreme Court, including one from Manipur.

The information was shared by Union Minister of State (independent charge) for Law & Justice Arjun Ram Meghwal.

"The President has appointed Chief Justice, High Court of Jammu& Kashmir and Ladakh (PHC Manipur), Nongmeikapam Kotiswar Singh and Judge, Madras High Court, R Mahadevan as Judges of the Supreme Court.“

Justice N. Kotiswar Singh, originally from Manipur, will be the first Supreme Court judge from the state and will hold the post till February 28, 2028, while Justice R. Mahadevan from Tamil Nadu will take up his first post outside the Madras High Court.

चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ , जजों की संख्या पूर्ण :

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई।

इन दोनों जजों की नियुक्ति 11 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद हुई है। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

दोनों जजों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 हो गई।

जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश पिछले हफ्ते की थी।

Related Constitutional Provisions

Article 124(2) of the Indian Constitution provides that the Judges of the Supreme Court are appointed by the President after consultation with such a number of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary for the purpose.

Article 217 of the Indian Constitution states that the Judge of a High Court shall be appointed by the President consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court.

Two judges retired from the Supreme Court last month:

Earlier, the total number of judges in the Supreme Court was 32, although the total approved number of judges in the Supreme Court is 34 which has now been completed. Two judges have retired from the Supreme Court in the last few months. Justice Aniruddha Bose and Justice AS Bopanna retired from the Supreme Court in the months of April and May. After the retirement of these two judges, the Supreme Court was working with 32 judges. But now after the appointment of both the judges, this number has again reached 34.

JUSTICE ANIRUDDHA BOSE
JUSTICE A.S BOPANNA

मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने एन कोटीश्वर सिंह:

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश पिछले हफ्ते की थी. जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह के सुप्रीम कोर्ट का जज बनते ही एक कीर्तिमान भी बन गया, वो मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले पहले जज बन गए.

- कॉलेजियम ने जस्टिस सिंह की न्यायिक प्रदर्शन, प्रशासनिक कौशल, ईमानदारी और समग्र योग्यता के लिए प्रशंसा की।
- कॉलेजियम के अनुसार, जस्टिस आर. महादेवन सुप्रीम कोर्ट में बहुमूल्य अनुभव और विविधता लाएंगे।
- जस्टिस आर. महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे।
- तमिलनाडु के पिछड़े समुदाय से आने के कारण उनकी नियुक्ति से पीठ पर विविध पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है।
- कॉलेजियम ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद जस्टिस महादेवन का चयन पिछड़े समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

कोर्ट में अब जजों की वैकेंसी फुल:

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सहित 34 जज के पदों को मंजूरी मिली हुई है. जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन के शपथ लेने के बाद जजों के कोर्ट में सभी पद भर जाएंगे. अदालत में वर्तमान समय में 32 न्यायाधीश हैं. सुप्रीम कोर्ट कलेजियम के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश राय हैं.

SUPREME COURT OF INDIA

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान में भाग पाँच (संघ) एवं अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 124 (1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा तथा सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन (Organisation)

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में **34** न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश) हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) 2019 के विधेयक में चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया।
- मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गई थी।
- संसद उन्हें विनियमित करने के लिये अधिकृत है।

अनुच्छेद 124: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनुच्छेद 125: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें।

अनुच्छेद 126: मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का पालन।

अनुच्छेद 127: सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनुच्छेद 128: पूर्व न्यायाधीशों की अस्थायी सेवा।

अनुच्छेद 129: सुप्रीम कोर्ट का न्यायालयिक सम्मान।

अनुच्छेद 130: सुप्रीम कोर्ट का स्थान।

अनुच्छेद 131: संघ और राज्यों के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट की मौलिक न्यायक्षेत्र।

अनुच्छेद 132: संवैधानिक मामलों में अपील की न्यायिक शक्ति।

अनुच्छेद 133: नागरिक मामलों में अपील की न्यायिक शक्ति।

अनुच्छेद 134: आपराधिक मामलों में अपील की न्यायिक शक्ति।

अनुच्छेद 135: अन्य मामलों में न्यायक्षेत्र।

अनुच्छेद 136: विशेष अनुमति याचिका।

अनुच्छेद 137: सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पुनर्विचार।

अनुच्छेद 138: संसद द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त न्यायक्षेत्र।

अनुच्छेद 139: संसद द्वारा प्रदत्त आदेश देने की शक्ति।

अनुच्छेद 140: संसद द्वारा प्रदत्त अनुपूरक शक्तियां।

अनुच्छेद 141: भारत भर में कानून के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय।

अनुच्छेद 142: न्याय के पूर्ण कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ।

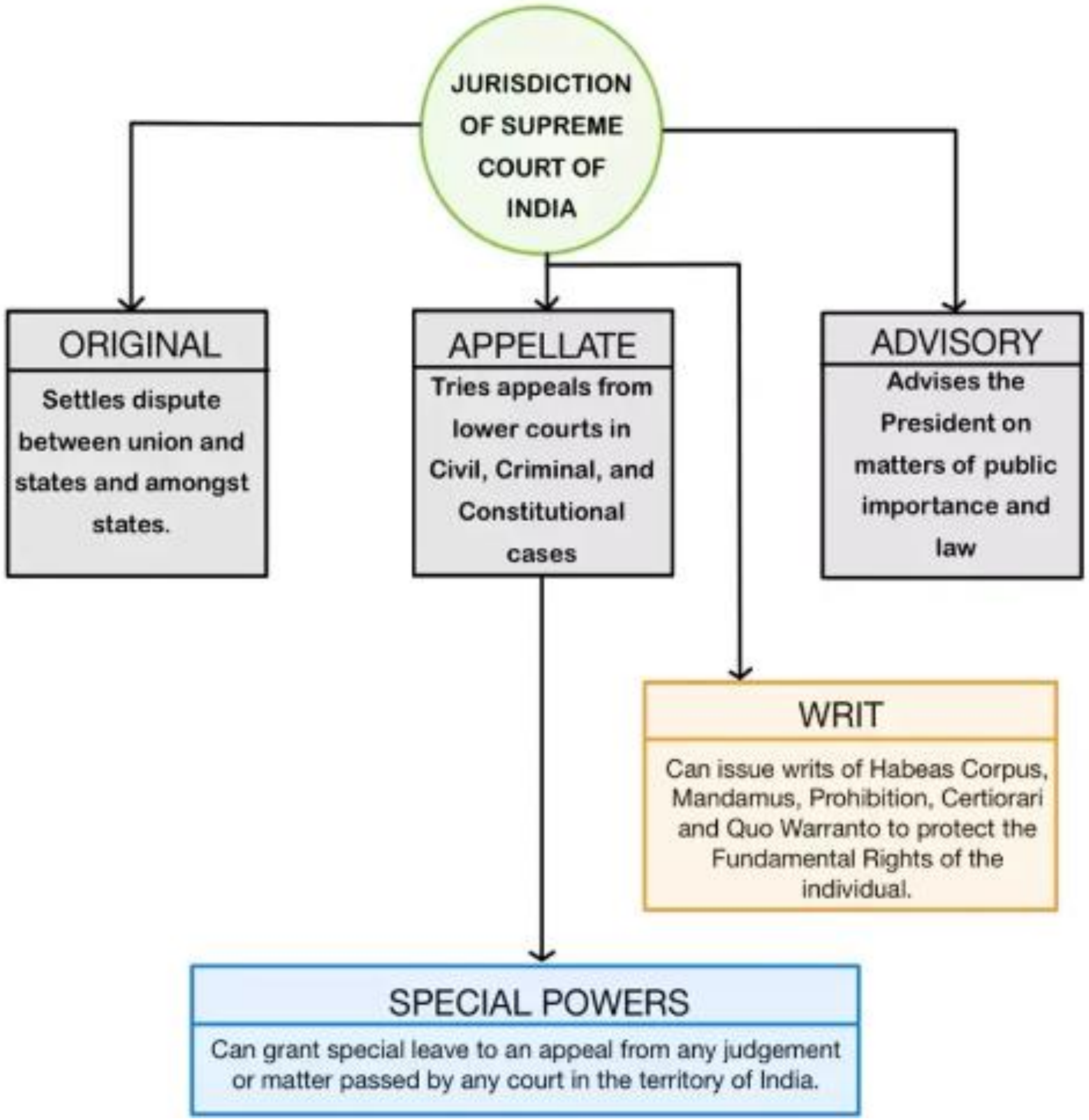
JURISDICTION OF SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL
Settles dispute between union and states and amongst states.
APPELLATE
Tries appeals from lower courts in Civil, Criminal, and Constitutional cases
ADVISORY
Advises the President on matters of public importance and law
WRIT
Can issue writs of Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo Warranto to protect the Fundamental Rights of the individual.
SPECIAL POWERS
Can grant special leave to an appeal from any judgement or matter passed by any court in the territory of India.

COLLEGIUM
SYSTEM IN INDIA

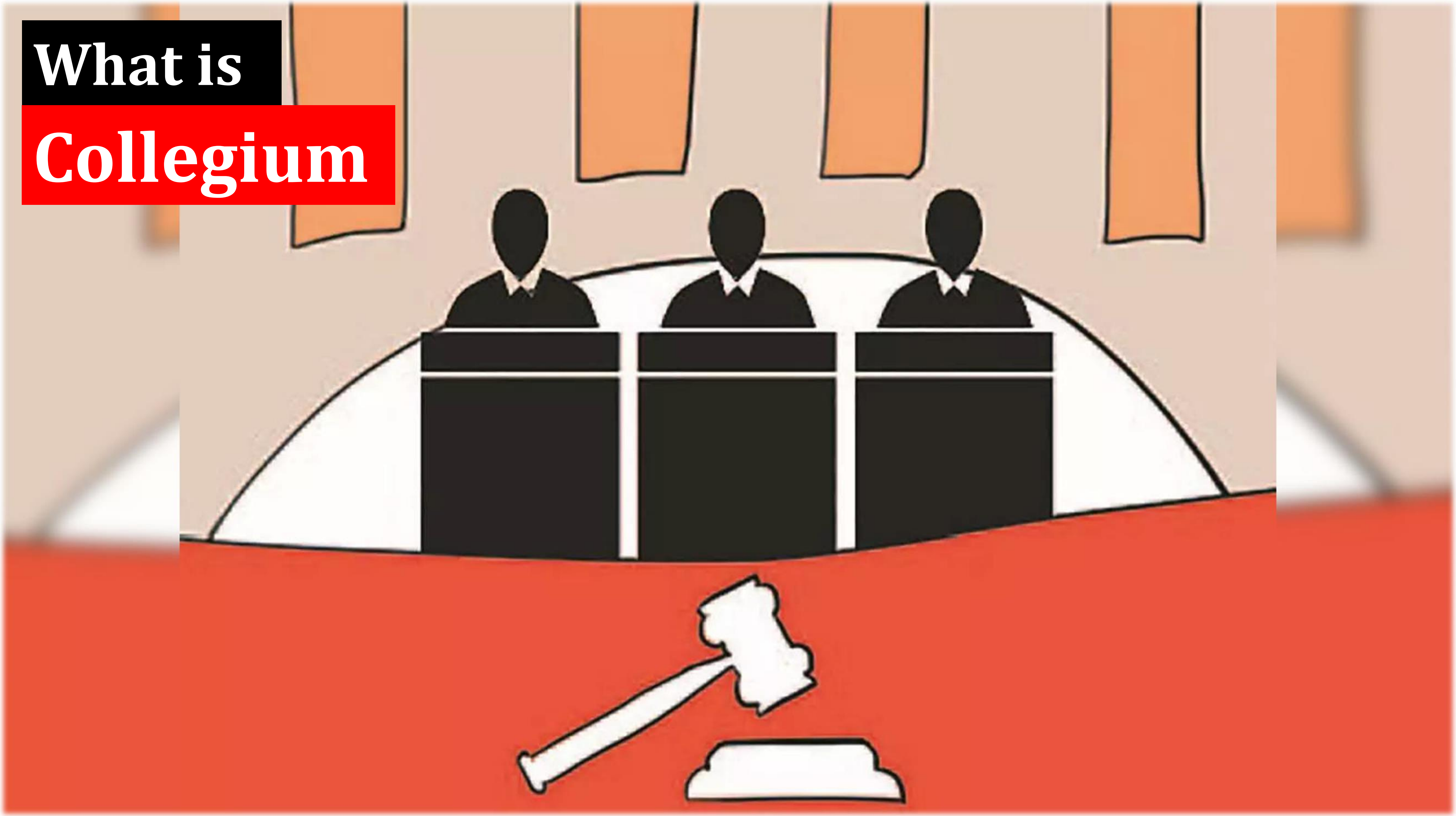
What is
Collegium

A JURY OF JUDGES

WHAT IS THE COLLEGIUM SYSTEM?

- A forum which decides on **appointments, transfers** (A/Ts) of judges.
- Comprised of Chief Justice of India, **4 Supreme Court Judges**
- Born from 'Three Judges Cases' which gave **primacy to CJI's call** on A/Ts
- Judiciary gets **greater say than Executive on A/Ts**
- President merely **approves** CJI's choice

CRITICISMS

- **Administrative burden** of checking professional background data
- Closed-door affair, **lacks transparency**
- **Exclusivity** sidelines talented junior judges, advocates

SOME OF THE CHANGES SOUGHT:

- CJI cannot make **unilateral choice**
- Consulted **judges' views need to be in writing**
- **Non-compliance** must make CJI choice **non-binding**
- **Transfer of judges reviewable only in case of non-compliance**

Collegium System

WORKING

- The SC Collegium is a five-member body, which is headed by the incumbent CJI and comprises the four other seniormost judges of the court at that time.
- A High Court collegium is led by the incumbent Chief Justice and two other seniormost judges of that court.
- Names recommended for appointment by a High Court collegium reach the government only after approval by the CJI and the Supreme Court collegium.
- The govt can return the recommended Judge for reconsideration by Collegium.
- If the collegium reiterates its recommendation, then the government is mandated to appoint a person.

- **When was it Introduced?**

  Introduced in 1993 – The Second Judges Case.

  Formed in the consultation with the 2 senior-most judges in the SC.

- **Appointment of CJI**

  Step 1 : The senior most just of SC is considered to hold the office.

  Step 2 : Recommendation of Outgoing CJI is considered

  Step 3 : The Union Minister of Law sends the recommendation to the PM who advices President to matter of appointment.

Chief Justice of India

Dr Justice D Y Chandrachud
Chief Justice of India

(DoB.) : 11-11-1959

Term of Office : (DoA) 13-05-2016 to (DoR) 10-11-2024

- Appointed Judge of the Supreme Court of India on 13 May 2016.
- Chief Justice of the Allahabad High Court from 31 October 2013 until appointment to the Supreme Court.
- Judge of the Bombay High Court from 29 March 2000 until appointment as Chief Justice of the Allahabad High Court. Director of Maharashtra Judicial Academy.
- Additional Solicitor General of India from 1998 until appointment as a Judge.
- Designated as Senior Advocate by the Bombay High Court in June 1998.
- Practised law at the Supreme Court of India and the Bombay High Court.
- Visiting Professor of Comparative Constitutional Law at the University of Mumbai. Visiting Professor at Oklahoma University School of Law, USA.
- Delivered lectures at the Australian National University, Harvard Law School, Yale Law School and the University of Witwatersrand, South Africa. Speaker at conferences organised by bodies of the United Nations including United Nations High Commission on Human Rights, International Labour Organisation and United Nations Environmental Program, the World Bank and Asian Development Bank.
- Obtained LLM degree and a Doctorate in Juridical Sciences (SJD) from Harvard Law School, USA.
- BA with Honours in Economics from St Stephen's College, New Delhi. LLB from Campus Law Centre, Delhi University.

Supreme Court of India
https://www.sci.gov.in

Supreme Court of India | India

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court of India
|| यतो धर्मस्ततो जय: ||

Members of Collegium

- Chief Justice Dhananjaya Y. Chandrachud.
- Justice Sanjiv Khanna.
- Justice Bhushan Ramkrishna Gavai.
- Justice Surya Kant.
- Justice Hrishikesh Roy.

Chief Justice & Judges

Dr Justice D Y Chandrachud

Chief Justice of India

Justice Sanjiv Khanna

Justice Bhushan Ramkrishna Gavai

Justice Surya Kant

Justice Hrishikesh Roy

Email Us

supremecourt[at]nic[dot]in

Address

The Registrar Supreme Court of India Tilak Marg, New Delhi-110001

Evolution of the System &
Appointment of Judges in India –

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति –

स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभिक व्यवस्था (1950 - 1980) :

1. 1950: भारतीय संविधान के लागू होने के साथ, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रारंभिक दिनों में, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, जिसमें कार्यपालिका (सरकार) की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्तियाँ करता था।

2. 1981 - पहला न्यायाधीश मामला:

S.P. Gupta vs. Union of India: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा और मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी नहीं होगी।

3. 1993 - दूसरा न्यायाधीश मामला:

Supreme Court Advocates-on-Record Association vs. Union of India: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश और उनके वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह बाध्यकारी होगी। इस फैसले ने "कॉलेजियम प्रणाली" की नींव रखी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं।

4. 1998 - तीसरा न्यायाधीश मामला:

राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी कि क्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की सलाह भी महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना चाहिए।

5. 1999 - कॉलेजियम प्रणाली:

"कॉलेजियम प्रणाली" का औपचारिक रूप से संचालन शुरू हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) नियुक्तियों के लिए सिफारिश करते हैं।

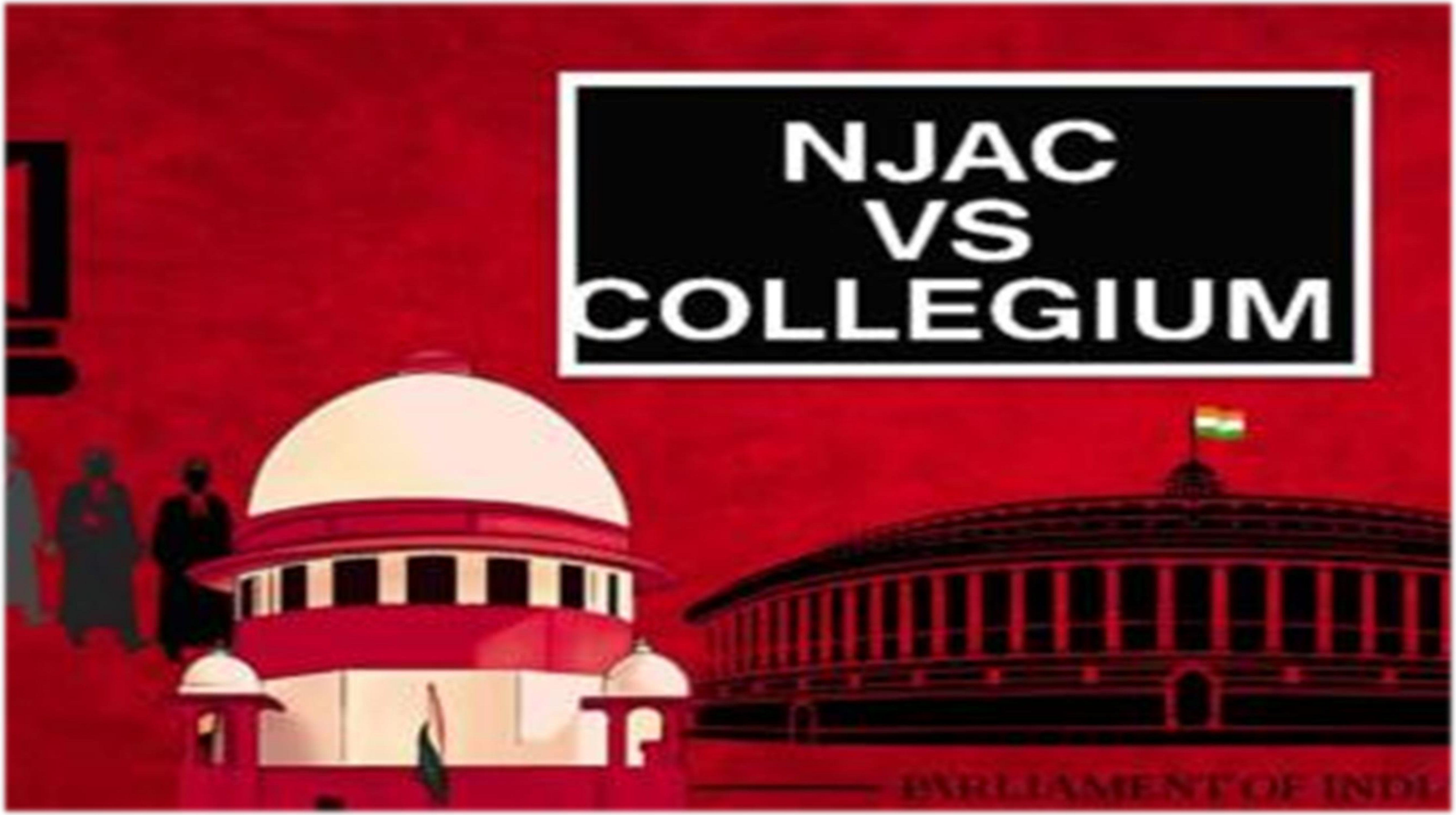
NJAC
VS
COLLEGIUM

Timeline of NJAC
Aug 2014: Constitution (Ninety-ninth amendment) Act passed in Parliament establishing the NJAC
Aug 2014: NJAC Act passed by Parliament to regulate functions of NJAC
Aug to Dec 2014: Both bills ratified by 16 state legislatures.
Dec 2014: President Pranab Mukherjee gives assent to both bills
April 2015: NJAC Act and Constitutional Amendment Act come into force
October 2015: Supreme Court strikes down NJAC.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC):

NJAC भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली थी, जिसे 2014 में भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित किया था।

गठन: NJAC का गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (जिन्हें चयन समिति द्वारा चुना गया था) के रूप में किया गया था।

लक्ष्य: NJAC का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था।

संवैधानिक संशोधन: 2014 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124A, 124B, और 124C को जोड़कर NJAC को स्थापित किया गया। इसके लिए संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 पारित किए गए।

विवाद: NJAC को लेकर कई विवाद उठे, जिनमें से प्रमुख था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसमें कार्यकारी और विधायी हस्तक्षेप की संभावना थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अक्टूबर 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने NJAC को असंवैधानिक करार दिया। यह निर्णय मुख्य रूप से इस आधार पर था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है।

कॉलेजियम प्रणाली और NJAC के बीच का विवाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश का प्रतीक है। जहां कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास करती है, वहीं NJAC न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का उद्देश्य रखता था। हालांकि, वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली लागू है।

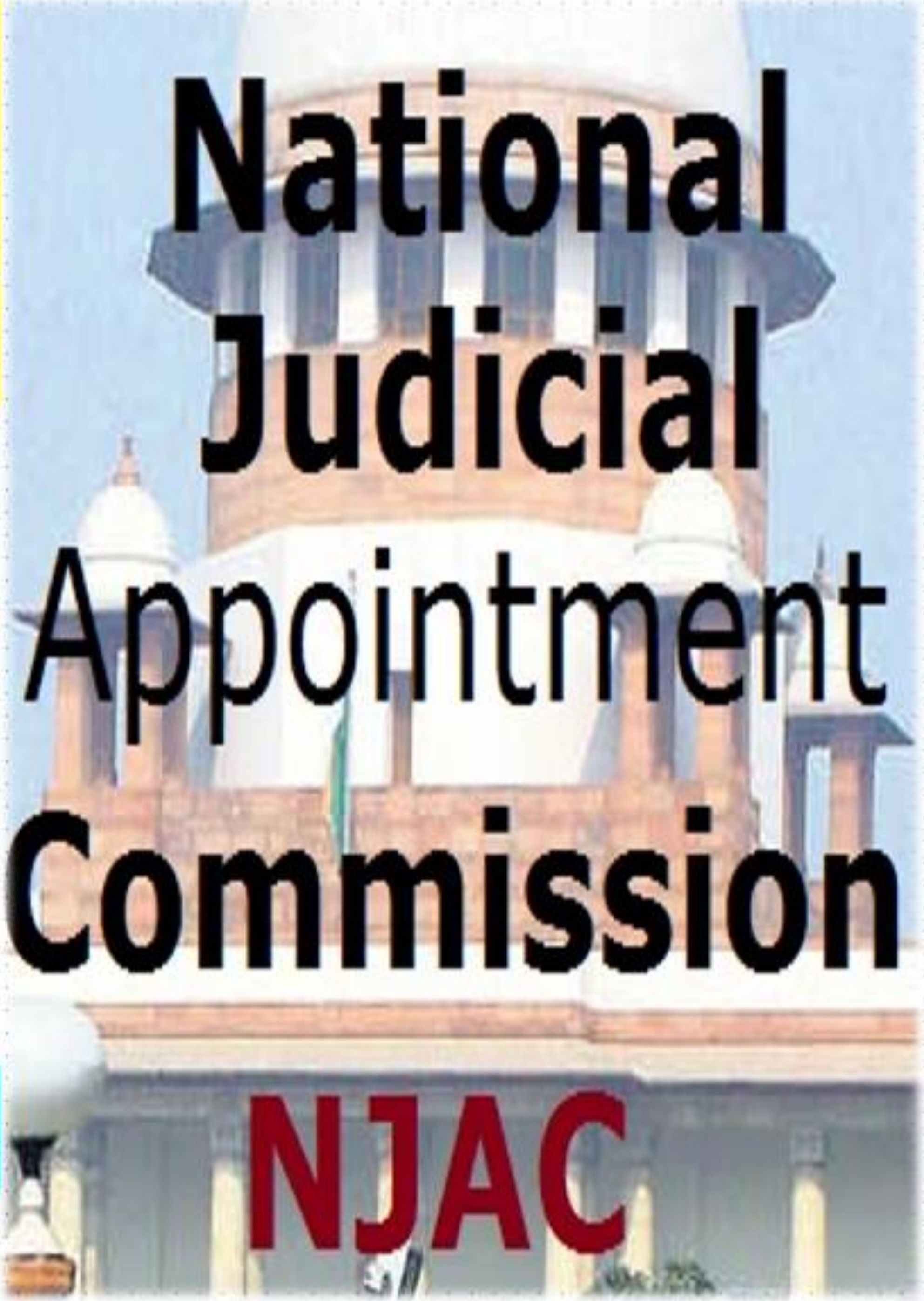

NJAC VS COLLEGIUM SYSTEM

WHAT'S COLLEGIUM SYSTEM

- Collegium system based on Three Judges Cases
- Under it, appointment of judges are made by Chief Justice of India and four most senior Supreme Court judges.
- Has no constitutional backing.
- Constitution of India's Article 124 says appointments to be made by President in consultation with judges as President may deem necessary.
- Critics say it is a closed-door system which lacks transparency

WHAT'S NJAC

- NJAC was a body created to end the two-decade-old Supreme Court Collegium system of judges appointing judges.
- Was passed by Lok Sabha on August 13, 2014. Was passed by Rajya Sabha a day later.
- Will consist of six people – CJI, two senior-most Supreme Court judges, Law Minister and two 'eminent' persons.
- Critics say judges in NJAC will need support of others to push a name through. They fear judicial independence being compromised.

What are the criticisms of the collegium system in India?

- **Unconstitutional and autocratic:** There is no mention of 'Collegium' anywhere in the Constitution and it has been evolved to retain the power of selecting judges within the judiciary itself.
- **Undemocratic:** Judges are not selected by the people.
- **Non-transparency and opaqueness:** As there is no official process for selection, there is lack of a written manual for functioning, there is selective publication of records of meetings and there are no eligibility criteria.
- **Nepotism promoted:** Sons and nephews of former members are popular choices.
- **Inefficient:** The Collegium is incapable of preventing the rising number of vacancies.
- **Ignoring Supreme Court's own guidelines:** The recent supersession in the appointment is not in consonance with the view of the Supreme Court in the Second Judges Case, 1993, which deals with the seniority law.
    - Unless there are strong reasons to justify their removal from office, the order of seniority amongst them must be maintained while appointing them to the Supreme Court.
- **Against Established Traditions:** The tradition of 'seniority' has long been followed as the process of appointments, but 'supersedion' ignores and discards this tradition.
- **No reforms after the fourth judge case:** After striking down the NJAC, the Court did not make any amendments to it but reverted to the old collegium-based appointment system.

Who is Justice N Kotiswar Singh?

- Born on March 1, 1963, in Imphal, Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh became the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh from February 15, 2023.
- He is the son of former Gauhati High Court judge, Justice N Ibotombi Singh.
- After graduating from Delhi's Kirori Mal College in 1983, he earned his LL.B. degree from Delhi University in 1986.
- Starting his legal career at Gauhati High Court, he rose to senior advocate status by March 2008 and was appointed as an additional judge in October 2011.

Who is Justice R Mahadevan?

- **Born on June 10, 1963, Justice R Mahadevan graduated from Madras Law College and practiced law for 25 years, specializing in civil, criminal, and writ matters, with a focus on indirect taxes, customs, and Central Excise.**

- **He served as Additional Government Pleader (Taxes) for Tamil Nadu, Additional Central Government Standing Counsel, and Senior Panel Counsel at Madras High Court.**

JUSTICE N KOTISWAR SINGH
JUSTICE R MAHADEVAN

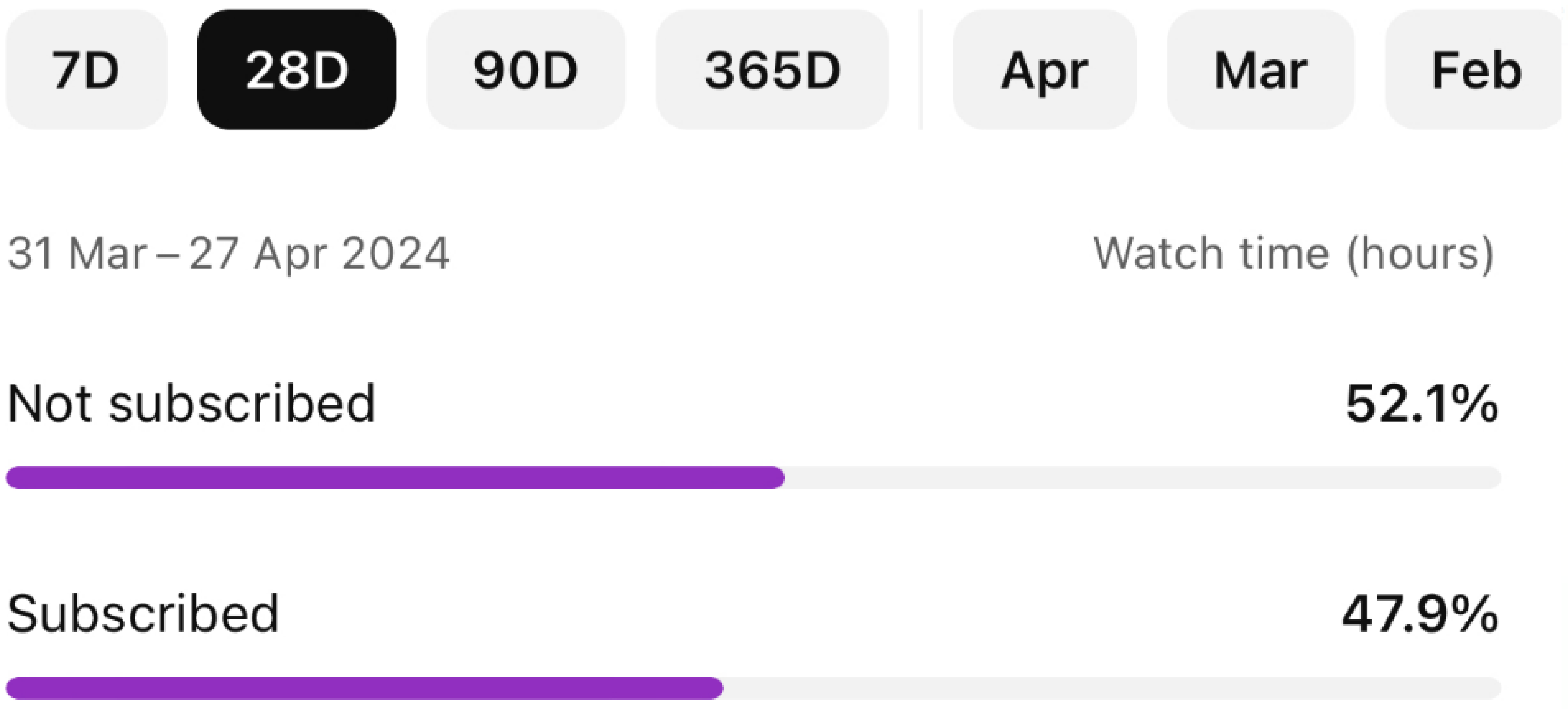
7D
28D
90D
365D
Apr
Mar
Feb
31 Mar – 27 Apr 2024
Watch time (hours)
Not subscribed
52.1%
Subscribed
47.9%

visit Our Website :-
WWW. apnipathshala.com
1) BPSC Courses
2) RPSC Courses
3) UPPSC Courses
4) RNA And Class Pdf
5) video lecture
6) Daily Current Affairs
7) Inforgraphic
8) Test series , Quiz
WWW. apnipathshala.com
अब तैयारी हुई और आसान
Download lessons and learn anytime, anywhere with Apni Pathshala
Welcome to ApniPathshala
Request Callback
अब तैयारी हुई और आसान

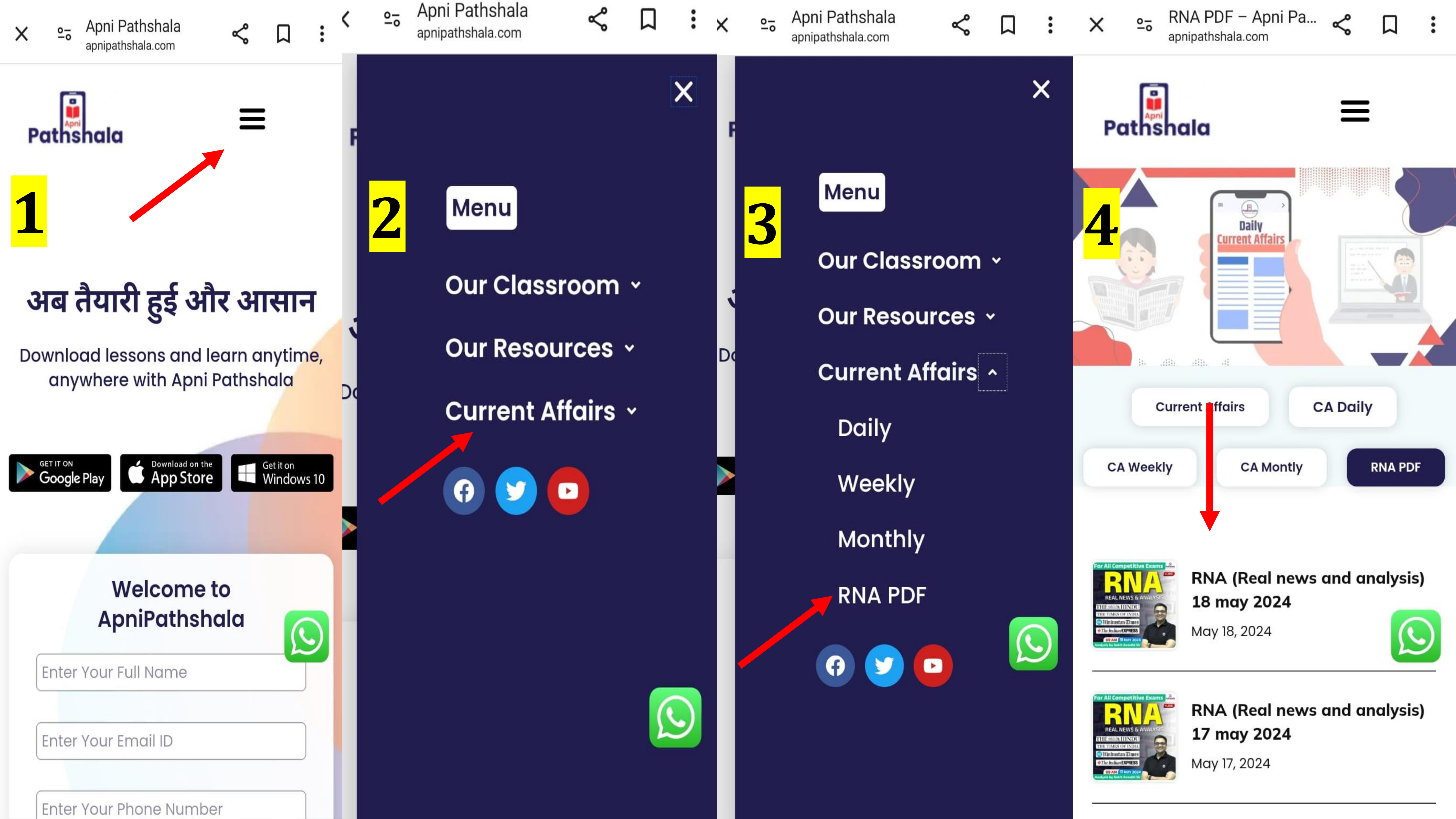

Apni Pathshala
apnipathshala.com
1
Apni Pathshala
अब तैयारी हुई और आसान
Download lessons and learn anytime, anywhere with Apni Pathshala
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Get it on Windows 10
Welcome to ApniPathshala
Enter Your Full Name
Enter Your Email ID
Enter Your Phone Number
Apni Pathshala
apnipathshala.com
2
Menu
Our Classroom
Our Resources
Current Affairs
Apni Pathshala
apnipathshala.com
3
Menu
Our Classroom
Our Resources
Current Affairs
Daily
Weekly
Monthly
RNA PDF
RNA PDF – Apni Pa...
apnipathshala.com
4
Apni Pathshala
Daily Current Affairs
Current Affairs
CA Daily
CA Weekly
CA Montly
RNA PDF
RNA (Real news and analysis) 18 may 2024
May 18, 2024
RNA (Real news and analysis) 17 may 2024
May 17, 2024

2024
GA FOUNDATION
RECORDED BATCH
Subject
HISTORY ,POLITY
GEOGRAPHY
ECONOMICS
Price
1499/-
Validity
1 Year
By Ankit Avasthi Sir
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Title: ______ Date: __/__/____

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।

→ तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते है।

→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।

→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।

→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।

→ पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।

→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल

→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर

पंचनद

→ सिंधु से पचंनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।

→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

Title: ______ Date: __/__/____

बेरिनाग झील से होता है।

* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।

→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।

→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौवहन परियोजना है।

→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।

→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित है।

उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार

→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।

→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।

→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

किया। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो ब्रह्माण्ड का कोई आदि है न ही कोई अंत है। यह समयानुसार अपरिवर्तित रहता है। यद्यपि इस सिद्धान्त में प्रसरणशीलता समाहित है परन्तु फिर भी ब्रह्माण्ड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से सृजित होता रहता है।

3) दोलन सिद्धान्त (Pulsating Universe theory) :-
यह सिद्धान्त डॉ. एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्माण्ड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीडित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और यही क्रम चलता रहेगा।

4) स्फीति का सिद्धान्त (Inflationary theory) :
यह सिद्धान्त अमेरिकी वैज्ञानिक एलेन गुथ ने दिया था। इस सिद्धान्त के अनुसार, विशालकाय अग्निपिण्ड के विस्फोट के पश्चात अति अल्पकाल में ब्रह्माण्ड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ और ब्रह्माण्ड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई।

तारों का निर्माण : तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है।

सौरमण्डल

सौरमण्डल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमण्डल कहलाते हैं।

सूर्य (SUN) :- सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्व विद्यमान हैं। सूर्य का केन्द्रीय भाग क्रोड (Core) कहलाता है।

→ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केन्द्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है।

→ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सैकेण्ड का समय लगता है।

→ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा आस्ट्रेलिस कहते हैं।

₹

1999

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: